[2018] 1 एस. सी. आर 937

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

वी.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

(सिविल अपील सं. 2011 की 1969)

फरवरी 08,2018

[कुरियन जोसेफ और आर. बानुमथी, जे. जे।]

SEBI (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध)

प्रतिभूति बाजार) विनियम, 2003 से संबंधितः रेगन्स 3 (ए), (बी),

उसी दिन मामला, मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना अंतर्निहित-इसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को आरक्षण लाभ होता है और दूसरा

नुकसान की बुकिंग करने वाला पक्ष-कारण बताएँ नोटिस में आरोप लगाया गया था कि पक्ष-व्यापारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच रहे थे।

समक्रमित और विपरीत लेनदेन में व्युत्पन्न खंड एक ऐसी कीमत पर जो अंतर्निहित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता था-निर्धारण अधिकारी ने माना कि गलत या भ्रामक बनाने का इरादा था

बाजार में उपस्थिति और यह भी कि एक जोड़-तोड़/भ्रामक उपकरण का उपयोग व्यापार और व्यापार के समन्वय के लिए किया जाता था

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के नियम 3 (ए), (बी), (सी) और 4 (1), (2) (ए), (बी) का उल्लंघन करने वाली प्रकृति में काल्पनिक-प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) ने निर्धारण अधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि

वायदा और विकल्प (एफ एंड ओ) खंड में, इसकी कोई अवधारणा नहीं है

" लाभकारी स्वामित्व का परिवर्तन "क्योंकि इसमें क्या व्यापार किया जाता है

खंड अनुबंध हैं न कि अंतर्निहित स्टॉक या सूचकांक और यह केवल नकद निपटान के माध्यम से होता है कि व्यापार समाप्त होता है और नहीं

किसी भी संपत्ति का भौतिक वितरण शामिल है और इस दृष्टिकोण से

एफ एंड ओ में निफ्टी विकल्पों में मैटर, सिंक्रोनाइज़्ड और रिवर्स ट्रेड

खंड कभी भी बाजार में हेरफेर नहीं कर सकता है जिसका अर्थ वर्तमान संदर्भ में नकदी खंड में निफ्टी सूचकांक का मूल्य है-यह आगे

माना कि चूंकि व्यापार का निपटान स्टॉक के माध्यम से नकद में किया गया था

विनिमय तंत्र, वे वास्तविक हैं और एक गलत नहीं बनाया

और एफ एंड ओ खंड में व्यापार की भ्रामक उपस्थिति-अपील

एस. ई. बी. आई. द्वारा आयोजितः व्यापार हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है-लेकिन अगर एक पक्ष लगातार नुकसान करता है और वह भी पूर्व नियोजित तरीके से और

तेजी से विपरीत व्यापार, यह वास्तविक नहीं है और एक अनुचित व्यापार अभ्यास के बराबर होगा-तत्काल मामले में, विपरीत व्यापार के माध्यम से, वहाँ

अनुबंध में अधिकारों का कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं था-एस. ए. टी. ने रिवर्स ट्रेडों में लाभकारी स्वामित्व में परिवर्तन की अपनी समझ में गलती की-यहां तक कि डेरिवेटिव में भी, विपरीत व्यापार होने पर अधिकार का स्वामित्व पहले पक्ष को बहाल कर दिया जाता है-विचाराधीन व्यापारियों का इरादा लाभकारी स्वामित्व को स्थानांतरित करने का नहीं था-बाजार की ताकतों को उनके स्वाभाविक पाठ्यक्रम में काम करने की अनुमति देने के बजाय, व्यापारियों ने बार-बार विवादित लेनदेन किए जो अन्य बाजार खिलाड़ियों को पूर्ण भागीदारी से वंचित करते थे-बार-बार उलटफेर और लाभ और नुकसान बुक करने के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था।

क्रमशः, यह स्पष्ट किया कि पक्ष सामान्य अर्थों और सामान्य पाठ्यक्रम में व्यापार नहीं कर रहे थे-परिणामस्वरूप, स्पष्ट रूप से बाजार की ताकतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

तत्काल मामला

धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार अभ्यास क्षेत्र सभी निवेशकों के लिए खुला है-समन्वय और तेजी से उलट व्यापार द्वारा, जैसा कि तत्काल मामले में व्यापारियों द्वारा किया गया था, मूल्य की खोज प्रणाली स्वयं प्रभावित हुई-व्यापारी, इस प्रकार, प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार में लगे हुए हैं,

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के नियम 3 (ए), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। (कुरियन जोसेफ, जे.)

SEBI (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध)

प्रतिभूति बाजार) विनियम, 2003 से संबंधितः रेगिन्स। 3 (ए), (बी), (सी) और 4 (1), (2) (ए), (बी)-अवैध समन्वय पैदा करने वाले काल्पनिक लेनदेन-कार्यप्रणाली-सवाल यह है कि क्या

क्या अवैध समन्वय पैदा करने वाले काल्पनिक लेन-देनों को तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के इरादे से एकत्र किया जाना था-सामूहिक रूप से कार्य करना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है-हेरफेर का प्रमाण इस पर निर्भर हो सकता है तथ्यात्मक विवरणों से प्राप्त निष्कर्ष-इस तरह के निष्कर्ष व्यापार डेटा के पैटर्न और लेनदेन की प्रकृति आदि से एकत्र किए जा सकते हैं-'हेरफेर और समन्वय द्वारा', इसका मतलब है कि दोनों पक्षों ने पूर्व-ध्यान दिया है; कुछ सेकंड के भीतर कीमत में इस तरह का भारी उतार-चढ़ाव केवल पहले से ही हो सकता था

केवल पूरा करने के लिए संबंधित पक्षों के बीच समझ

स्टॉक एक्सचेंज के दुरुपयोग के माध्यम से गैरकानूनी उद्देश्य-यानी, एक दूसरे के साथ पूर्व व्यवस्था/पूर्व समझ जिसमें एक पक्ष लाभ अर्जित करेगा और दूसरा खो देगा और इस तरह जैसे ही एक पक्ष बाजार में अपना व्यापार खोलेगा, दूसरा पक्ष इसे खरीद लेगा।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

हालांकि व्यापार स्क्रीन पर दिखाया गया है, लेकिन पूर्व व्यवस्था

पर्दे के पीछे बहुत अच्छी तरह से संभव है-यह हाथ में मामले में किया गया था-कुछ के अंतर पर खरीद और बिक्री के आदेश दिए गए थे सेकंड/मिनट, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा 'बिक्री' उच्च कीमत पर थी और प्रत्यर्थी द्वारा 'खरीद' कम कीमत पर थी-लेनदेन

जिसमें 'खरीद और बिक्री' आदेश लगभग एक साथ प्रवेश करते हैं और लेनदेन समय और मात्रा में महत्वपूर्ण मूल्य भिन्नता के साथ मेल खाते हैं और प्रतिवादी लगातार लाभ कमा रहा है लेकिन दूसरा पक्ष लगातार नुकसान कर रहा है-ऐसी कोई संभावना नहीं थी समान पक्षों के बीच मात्रा, समय, कीमतों आदि का सही मिलान जब तक कि मन की पूर्व बैठक या कोई विशिष्ट विचार न हो।

प्रतिभूतियों के अंतर्निहित मूल्य से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी के व्यापार वास्तविक नहीं हैं और लाभप्रद स्वामित्व को हस्तांतरित करने के इरादे के बिना प्रतिभूति बाजार में व्यापार का केवल भ्रामक रूप था। (भानुमति, जे.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) विनियम, 1992: रेगिन्स। 7 ए, (2), (3), (4) की ओर से दलालों द्वारा व्यापारों का समन्वय और उलटफेर

एस. ए. टी. ने कहा कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने दलाल के रूप में काम किया, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह लेन-देन की प्रकृति के बारे में जानता था और विवादित लेनदेन को निष्पादित करते समय उचित परिश्रम की कमी का कोई सबूत नहीं था जो दलालों को स्टॉक दलालों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी बना सकता था। दलालों की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं था ताकि दलाल विनियमों और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियमन 7 ए के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके-केवल इसलिए कि एक दलाल ने लेनदेन में सुविधा प्रदान की, यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियमन का उल्लंघन हुआ है-एस. ई. बी. आई. ने सुझाव देने के लिए कोई सामग्री प्रदान नहीं की।

दलालों की ओर से लापरवाही या मिलीभगत-दलालों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा प्रदान की गई किसी भी सामग्री के अभाव में, विशेष रूप से धोखाधड़ी या [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुचित व्यापार प्रथाओं, दलालों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. के आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए-प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 - s.18A, 3 (AC), 2 (D)। (कुरियन जोसेफ, जे.)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और

उप-दलाल) विनियम, 1992: रेगिन्स। 7 ए, (2), (3), (4)-अवैध समन्वय पैदा करने वाले काल्पनिक लेनदेन-एस. ई. बी. आई. का आरोप

यह था कि एन. एस. ई. में व्यापारी और दलाल दिन के भीतर लगभग समान मात्रा में अनुबंध खरीद और बेच रहे थे और इस तरह के खरीद/बिक्री आदेशों को समन्वित किया गया था-आयोजितः प्रतिवर्ती लेन-देन, मात्रा, मूल्य और समय और बिक्री को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों द्वारा भारी मूल्य भिन्नताओं के साथ इस तरह के व्यापार लेनदेन की संख्या में लगातार बने रहने के कारण, यह मानना बहुत भोलापन होगा कि लेन-देन स्क्रीन-आधारित व्यापार के माध्यम से होते हैं और इसलिए अज्ञात रूप से होते हैं।

निष्कर्ष समाप्त हो जाएगा-बोर्ड के परिपत्र के अनुसार खरीद और बिक्री आदेश के समन्वय से जुड़ी दिमाग की पूर्व बैठक को देखते हुए और बातचीत किए गए सौदों को नहीं देखते हुए-विवादित लेनदेन वांछित नुकसान और/या लाभ पैदा करने के लिए हेरफेर/भ्रामक उपकरण हैं-इस तरह का समकालिक व्यापार पारदर्शी मानदंडों का उल्लंघन है।

प्रतिभूतियों में व्यापार यदि एस. ए. टी. के निष्कर्षों को बनाए रखना है, तो इसके बाजार की अखंडता को कम करने वाले गंभीर परिणाम होंगे और एस. ए. टी. के विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए-इन अतिरिक्त तर्कों पर भी, अपील की अनुमति देने वाला निष्कर्ष।

व्यापारियों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा गया है-दलालों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई अपील को खारिज करने वाले निष्कर्ष को भी बरकरार रखा गया है-एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992। 12 ए, 15 एचए। (भानुमति, जे.)

शेयर बाजारः प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता-जैसे-जैसे बाजार बढ़ता है, हेरफेर के सरल साधनों का भी उपयोग किया जाता है-ऐसे परिदृश्य में, यह आवश्यक है कि SEBI बदलते समय और विकास के साथ तालमेल बनाए रखे

शेयर बाजार में सुशासन के लिए सिद्धांत जो स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करते हैं-प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले अधिक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता के बारे में किशोर आर. अजमेरा और कनैयालाल पटेल में की गई टिप्पणियों को दोहराया गया-SEBI अधिनियम, 1992। (कुरियन जोसेफ, जे.)

शेयर बाजारः परिस्थितियाँ जिनके तहत समक्रमित किया गया

व्यापार अवैध हो जाता है-आयोजितः एक समक्रमित लेन-देन अवैध या विनियमों का उल्लंघन करने वाला बन जाएगा यदि इसे बाजार में हेरफेर करने की दृष्टि से निष्पादित किया जाता है या इसके परिणामस्वरूप परिपत्र व्यापार होता है या भारत का संदिग्ध सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

प्रकृति में और स्क्रिप की कीमत या मात्रा में हेरफेर करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के साथ। (भानुमति, जे.)

शेयर बाजारः बाजार का हेरफेर-यदि हेरफेर का तथ्य स्थापित हो जाता है, तो यह आवश्यक रूप से अनुसरण करेगा कि

बाजार में निवेशकों को खरीदने या बेचने के लिए प्रेरित किया गया है और इस संबंध में आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है-बाजार इतना व्यापक है कि बोर्ड के लिए उन व्यक्तियों का पता लगाना मानवीय रूप से संभव नहीं हो सकता है जिन्हें वास्तव में प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए प्रेरित किया गया था।

हेरफेर के परिणामस्वरूप और बोर्ड को एक बोझ के साथ नहीं थोपा जा सकता है जिसे निर्वहन करना असंभव है। (भानुमति, जे.) शेयर बाजारः बाजार दुरुपयोग की रोकथाम-प्रतिभूति बाजार का सुचारू संचालन और इसका स्वस्थ विकास और

विकास काफी हद तक बाजार की गुणवत्ता और अखंडता पर निर्भर करता है अनुचित व्यापार प्रथाएं अखंडता को प्रभावित करती हैं और

प्रतिभूति बाजार की दक्षता और निवेशकों का विश्वास बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम और बाजार की अखंडता का संरक्षण प्रतिभूति कानून की पहचान है। (भानुमति, जे.)

शेयर बाजारः एस. ई. बी. आई. अधिनियम का उद्देश्य-एस. ई. बी. आई. की भूमिकाः SEBI अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है ताकि प्रतिभूतियों के व्यवस्थित, स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रतिभूति बाजार और निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए-निवेशकों के हितों और बाजारों की अखंडता की रक्षा करने के लिए, एक नियामक के रूप में, एस. ई. बी. आई. को बाजार को कुशल और स्वच्छ बनाना होगा, जिसमें सभी प्रतिभागी बाजार के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश के बिना, प्रणाली के चारों कोनों के भीतर लगन और पेशेवर रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं-जहां कुछ बेईमान तत्व अपनी सेवा के लिए बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं।

हित में, एस. ई. बी. आई. की ओर से हस्तक्षेप करना और आगे की शरारत पर अंकुश लगाना और प्रतिभूति बाजार की अखंडता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है।

(भानुमति, जे.)

प्रमाणः एस. ई. बी. आई. के समक्ष अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में, प्रमाण का मानक संभावना की प्रधानता है-स्टॉक एक्सचेंज।

(भानुमति, जे.)

शब्द और वाक्यांश - सिंक्रोनाइज़, सिंक्रोनाइज़्ड ट्रेडिंग

का अर्थ, चर्चा की गई। (भानुमति, जे.)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः प्रति

कुरियन जोसेफ, जे।

प्रतिभूतियों में व्यापार प्रथाएं "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन निष्पक्ष खेल और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, किसी को प्रतिभूतियों में अनुचित व्यापार प्रथाओं के अर्थ पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रासंगिक और सरल शब्दों में, इसका अर्थ एक ऐसी प्रथा है जो शेयर बाजार में व्यापार के निष्पक्ष और पारदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तत्काल मामले में, एक पक्ष ने लाभ दर्ज किया और दूसरे पक्ष ने नुकसान दर्ज किया। कोई भी जानबूझकर नुकसान के लिए व्यापार नहीं करता है। नुकसान के लिए एक जानबूझकर व्यापार, प्रतिभूतियों में एक वास्तविक सौदा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के मंच का उपयोग गैर-वास्तविक व्यापार के लिए किया गया है। व्यापार हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। लेकिन अगर एक पक्ष लगातार नुकसान करता है और वह भी पूर्व नियोजित और तेजी से विपरीत व्यापार में, तो यह वास्तविक नहीं है; यह एक अनुचित व्यापार अभ्यास है। प्रतिभूति बाजार, जैसा कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 प्रस्तावना में प्रदान करता है, "प्रतिभूतियों में अवांछनीय लेनदेन" की अनुमति नहीं देता है। अधिनियम का उद्देश्य रोकने का है प्रतिभूतियों में लेनदेन के व्यवसाय को विनियमित करके अवांछनीय लेनदेन। अवांछनीय लेन-देन में निश्चित रूप से व्यापार में अनुचित व्यवहार शामिल होंगे। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 लागू किया गया था। निवेशकों के हितों के संरक्षण में आवश्यक रूप से बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम शामिल होनी चाहिए। सुनियोजित व्यापार बाजार तंत्र का दुरुपयोग है। यह बाजार खेल रहा है और यह प्रभावित करता है

बाजार की अखंडता। [पारस 34,35] [976-डी-ई; 977-डी-जी]

केतन पारेख बनाम। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

एस. ए. टी. के समक्ष 2004 की भारत अपील सं. 2-निर्दिष्ट।

2. आम तौर पर, बेनामी पक्षों के बीच व्यापार होता और कीमत निर्धारित की जाती।

मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा। तत्काल मामले में, पक्ष तुल्यकालिक व्यापार पर नहीं रुके। तथ्य इससे परे हैं। इस मामले में व्यापार उलटफेर से संकेत मिलता है कि पक्षों का भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के माध्यम से लाभकारी स्वामित्व का हस्तांतरण करने का इरादा नहीं था।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

ये सुनियोजित लेन-देन, जिनका इरादा नियमित व्यापार नहीं था, अन्य निवेशकों को इससे बाहर रखा गया है। इन व्यापारों में भाग लेना। यह तथ्य कि जब व्यापार समक्रमित नहीं हो रहा था, व्यापारियों ने इसे अनाकर्षक कीमतों पर रखा, यह भी एक मजबूत संकेत है कि व्यापारी बाजार के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। [पैरा 36] [977-एच; 978-ए-बी]

सही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नकद खंड में किसी शेयर में व्यापार के मामले में, परिसंपत्ति की कोई भौतिक डिलीवरी नहीं होती है। हालांकि, यहाँ तक कि व्युत्पन्न खंड में भी अनुबंध में अधिकारों में परिवर्तन होता है। तत्काल मामले में, रिवर्स ट्रेडों के माध्यम से, अनुबंध में अधिकारों का कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ था। एस. ए. टी. ने गलती की है

स्वाभाविक रूप से, व्यापारियों ने बार-बार विवादित लेनदेन किए जो अन्य बाजार खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से वंचित कर देते थे भागीदारी। बार-बार उलटफेर और क्रमशः लाभ और हानि दर्ज करने के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था ने यह स्पष्ट कर दिया

कि पक्ष सामान्य अर्थों में व्यापार नहीं कर रहे थे और सामान्य पाठ्यक्रम। नतीजतन, तत्काल मामले में बाजार की ताकतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। [पारस 37,38] [978-बी-सी; 979-ए-सी]

4. विनियम 2 (1) (सी) धोखाधड़ी को परिभाषित करता है। विनियमन 2 (1) (सी) (2) के तहत एक ऐसे तथ्य के बारे में सुझाव जो सच नहीं है, जबकि वह इसे सच नहीं मानता है, धोखाधड़ी है। विनियम 2 (1) (सी) (7) के तहत,

एक के दूसरे को सूचित सहमति या पूर्ण भागीदारी से वंचित करने का भ्रामक व्यवहार धोखाधड़ी है। और विनियमन के तहत

2 (1) (ग) (8), एक झूठा बयान जिसे सच मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है, वह भी धोखाधड़ी है। एक समक्रमित और

पूर्व निर्धारित व्यवस्था के साथ प्रतिभूतियों में उल्टा सौदा पूर्व-व्यवस्थित दलों के बीच नुकसान या लाभ दर्ज करने के लिए, ये सभी बुराइयाँ आकर्षित होती हैं। विनियम 3 (ए) स्पष्ट रूप से खरीद को प्रतिबंधित करता है,

प्रतिभूतियों को धोखाधड़ी से बेचना या अन्यथा सौदा करना।

विनियमन 4 (2) के तहत प्रतिभूतियों में लेनदेन को धोखाधड़ी माना जाएगा यदि व्यापारी किसी ऐसे कार्य में लिप्त होता है जो प्रतिभूति बाजार में व्यापार का गलत या भ्रामक रूप पैदा करता है। यह.

यह एक डीमिंग प्रावधान है। इस तरह के व्यापार में प्रतिभूति की कीमत में हेरफेर करने के लिए एक अधिनियम भी शामिल है, इस अर्थ में कि कीमत को कृत्रिम रूप से और स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित किया गया है। द. मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य को बिल्कुल नहीं दर्शाता है। यह प्रतिभूतियों में एक लेनदेन भी है जो इसे निष्पादित करने के किसी भी इरादे के बिना और ऐसी प्रतिभूतियों के स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने के किसी भी इरादे के बिना किया जाता है, अनुबंध में अधिकारों के सीमित अर्थों में स्वामित्व को समझा जाता है। [पारस 39,40] [979-सी-जी]

5. एस. ए. टी. के अनुसार, केवल तभी जब बाजार पर प्रभाव पड़े

नकली लेनदेन के कारण, क्या पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन हो सकता है। प्रस्ताव विश्वसनीय नहीं है। एसएटी

बाजार की अखंडता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों से चूक गए, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। शेयर बाजार किसी भी धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार अभ्यास के लिए एक मंच नहीं है। यह क्षेत्र सभी निवेशकों के लिए खुला है। समकालिकता और तेजी से विपरीत व्यापार से, जैसा कि तत्काल मामले में व्यापारियों द्वारा किया गया है, मूल्य खोज प्रणाली ही प्रभावित होती है। जिन पक्षों ने कीमत पहले से तय कर ली है, उनके अलावा कोई भी व्यापार में भाग लेने की स्थिति में नहीं है। इसका शेयर बाजार की निष्पक्षता, अखंडता और पारदर्शिता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार व्यापारियों ने प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार में लगे होने के कारण पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 3 (ए), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जहाँ तक दलालों का संबंध है, शायद ही कोई सबूत है

दलाल विनियमों और पी. एफ. यू. टी. पी. के विनियम 7 ए के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी भागीदारी नियम। केवल इसलिए कि एक दलाल ने लेन-देन में सुविधा प्रदान की, यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियमन का उल्लंघन हुआ है। एस. ई. बी. आई. ने लापरवाही का सुझाव देने के लिए कोई सामग्री प्रदान नहीं की है या

दलालों की ओर से मिलीभगत। दलालों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए SEBI द्वारा प्रदान की गई किसी भी सामग्री के अभाव में, विशेष रूप से धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं को सहायता और बढ़ावा देने के संबंध में, दलालों के खिलाफ SEBI के आदेश

हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। [अनुच्छेद 41,43,44] [979-जी-एच; 980-ए-बी; 981-बी; सी, डी-एफ] भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

6. प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए अधिक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। जैसे-जैसे बाजार बढ़ता है,

हेरफेर के सरल साधनों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे परिदृश्य में यह आवश्यक है कि एस. ई. बी. आई. बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखे और स्टॉक में सुशासन के लिए सिद्धांतों का विकास करे।

बाजार जो स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है। [पैरा 45] [981-जी]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। किशोर आर. अजमेरा (2016) 6 एससीसी 368: [2016] 1 एससीआर 1118;

श्री कनैयालाल बलदेवभाई पटेल और अन्य। 2017 एससीसी ऑनलाइन एससी 1148-पर भरोसा किया गया।

प्रति भानुमति, जे। (पूरक)

1. समक्रमित व्यापारः ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'सिंक्रोनाइज़' शब्द का अर्थ है "एक ही समय में होने का कारण; एक साथ रहें"। एक समकालिक व्यापार वह है जहाँ खरीदार और विक्रेता अपने इच्छित शेयरों की मात्रा और मूल्य दर्ज करते हैं। काफी हद तक एक ही समय में लेन-देन करें। यह एक ही दलाल (जिसे क्रॉस डील कहा जाता है) या दो अलग-अलग दलालों के माध्यम से किया जा सकता है। समक्रमित व्यापार वह है जिसमें 'खरीद और बिक्री' के आदेश एक साथ उसी मात्रा और कीमत पर दिए जाते हैं जो वे एक ही समय में लेना-देना करना चाहते हैं। समक्रमित व्यापार अवैध नहीं हैं बशर्ते कि उन्हें किसी भी अन्य सामान्य व्यापार की तरह ही विनिमय के मूल्य और आदेश मिलान तंत्र में विनिमय की स्क्रीन पर निष्पादित किया जाए। एक समकालिक लेन-देन अवैध या विनियमों का उल्लंघन करने वाला बन जाएगा यदि इसे बाजार में हेरफेर करने की दृष्टि से निष्पादित किया जाता है या यदि इसका परिणाम परिपत्र व्यापार में होता है या प्रकृति में संदिग्ध होता है और स्क्रिप की कीमत या मात्रा में हेरफेर करने की दृष्टि से या किसी अन्य उद्देश्य के साथ किया जाता है। [पारस 13,14,16] [989-ए-सी; 990-डी-ई]

केतन पारेख बनाम। एस. ई. बी. आई., मनु/एस. बी./0229/2006-संदर्भित।

2. यह सवाल कि क्या अवैध समन्वय पैदा करने वाले काल्पनिक लेनदेन थे, पक्षों के तथ्यों और परिस्थितियों और इरादे से एकत्र किया जाना चाहिए। संगीत समारोह में अभिनय करना यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। हेरफेर का प्रमाण तथ्यात्मक विवरणों से प्राप्त निष्कर्षों पर निर्भर हो सकता है। इस तरह के निष्कर्ष पैटर्न [2018] 1 एस. सी. आर. से एकत्र किए जा सकते हैं।

व्यापार डेटा और लेन-देन की प्रकृति आदि। के द्वारा

दोनों पक्षों के बीच समझ। बोर्ड, जो बाजार का नियामक है, हमेशा ऐसे लेन-देन का पर्दा उठा सकता है ताकि इस तरह के लेन-देन की गैर-वास्तविकता को दिखाया जा सके। [पैरा 20,21] [992-डी-एच; 993-ए-बी] 3. वर्तमान मामले में, हर बार एक पक्ष लाभ कमा रहा है और दूसरे पक्ष को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, पार्टी-कासम होल्डिंग प्राइवेट को उच्च कीमत पर ऑर्डर बेचने के समय निकटता थी। लिमिटेड और उसी मात्रा को कासम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस किया जा रहा है। लिमिटेड उसी पक्ष को-राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। दलालों के एक ही समूह के माध्यम से कम कीमत पर लिमिटेड। मार्च, 2007 के दौरान तेरह निफ़्टी विकल्प अनुबंध एक ही दलालों के माध्यम से एक ही पक्ष के बीच मिलान किए गए। यह समझने का कोई कारण नहीं है कि कासम होल्डिंग ने लेनदेन को भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v क्यों बनाया है।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

बार-बार नुकसान उठाना। यह असंभव प्रतीत होता है कि कासम होल्डिंग, जो प्रत्यर्थी के साथ व्यापार करके प्रत्येक लेन-देन में नुकसान का सामना कर रही थी, अभी भी लगभग चार दिनों तक उसी के साथ बार-बार व्यापार करने के लिए उत्सुक थी जो बाजार की प्रवृत्ति और मानवीय आचरण के अनुरूप नहीं है; विशेष रूप से, जब अंतर्निहित मूल्य में कोई बड़ा अंतर नहीं हुआ है। इसलिए यह मुश्किल है

यह स्वीकार करें कि कई ऐसे ऑर्डर बेचते हैं और खरीदते हैं

प्रतिवादी और कासम होल्डिंग का "1", "2" या "3" या कुछ सेकंड के अंतराल के भीतर होना केवल संयोग से था। यह बहुत अधिक संयोग था कि मूल्य में महत्वपूर्ण भिन्नता के साथ समान मात्रा में स्टॉक के साथ एक ही पक्ष के बीच 'खरीद और बिक्री आदेश' के लेनदेन की संख्या थी। [पैरा 22] [993-सी-एफ]

4. एस. ई. बी. आई. के समक्ष अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में, प्रमाण का मानक संभावना की प्रधानता है। किशोर आर. अजमेरा मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह न्यायिक कर्तव्य है कि उन घटनाओं के आसपास के तत्काल और निकटवर्ती तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाए जिन पर आरोप/आरोप लगाए गए हैं और अदालत को जो उचित लगे, उस तक पहुँचा जाए।

वहाँ से निष्कर्ष निकालें। परीक्षा हमेशा यह होगी कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक उचित/विवेकपूर्ण व्यक्ति कौन सी अनुमानित प्रक्रिया अपनाएगा। समान पक्षों के बीच मात्रा, समय, कीमतों आदि के इस तरह के सही मिलान की कोई संभावना नहीं थी जब तक कि मन की पूर्व बैठक या एक विशिष्ट बैठक न हो।

पक्षों के बीच समझ/व्यवस्था। किशोर आर. अजमेरा मामले में निर्धारित परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करना, के बीच प्रतिवर्ती लेनदेन का संचयी विश्लेषण

प्रतिभूतियों के अंतर्निहित मूल्य में बड़े बदलाव के बिना, प्रतिवादी और कासम होल्डिंग, मात्रा, समय और कीमतों में महत्वपूर्ण भिन्नता, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रतिवादी के व्यापार वास्तविक नहीं हैं और लाभप्रद हस्तांतरण के इरादे के बिना, प्रतिभूति बाजार में व्यापार का केवल भ्रामक रूप था।

5. अपीलार्थी का तर्क यह है कि यदि बाजार आगे बढ़ने लगता है या बाजार की धारणा और उसके प्रत्याशित भविष्य के प्रदर्शन में कोई बदलाव आता है, तो विक्रेता अक्सर बहुत आशंकित हो जाता है और यहां तक कि घबरा भी सकता है। काफी नुकसान होता है और नुकसान को रोकने के लिए अपनी स्थिति को कम करना चाहते हैं। इस तर्क में कोई दम नहीं है।

जहाँ

तक [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित लेन-देन का सवाल है, यह देखा गया है कि अंतर्निहित शेयरों का बाजार पूरी तरह से अडिग रहा था, तो घबराने का कोई सवाल ही नहीं था। जब बाजार में कोई अन्य लेनदेन नहीं था जो अंतर्निहित मूल्य को प्रभावित कर रहा था।

शेयर या एफ एंड ओ खंड और दोनों खंडों में कीमत स्थिर रही थी, तब आशंकित होने और घबराने का कोई उचित आधार नहीं था। इसलिए, स्थिति का वर्ग करना कर से बचने के लिए वित्तीय परिणामों को समायोजित करता प्रतीत होता है।

अनुचित व्यापार अभ्यास के माध्यम से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए घटना। [पैरा 28] [998-एफ-एच]

यह पीएफयूटीपी विनियमों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। 2003. पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 3 (ए), 4 (1) और 4 (2) (ए) इस तरह के हेरफेर वाले व्यापार, अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करते हैं। [पारस

32 , 33] [999 - एफ-एच; 1000-ए]

7. विनियम 3 "प्रतिभूतियों में कुछ लेन-देन के निषेध" से संबंधित है। विनियमन 4 "हेरफेर, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध" से संबंधित है। नियम 4 इस प्रकार शुरू होता है

" विनियम 3 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। विनियम 4 (2) एक समावेशी प्रावधान है। विनियम 4 (2) में कहा गया है कि "प्रतिभूतियों में लेनदेन को धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा यदि इसमें धोखाधड़ी शामिल है और इसमें सभी या कोई भी शामिल हो सकता है। "., उदाहरणों ने उस पर इशारा किया। विनियम 4 (2) (ए) "..... .....।

प्रतिभूति बाजार में व्यापार "। विनियमन 4 (2) (ए) के अंतर्गत आने वाला एक अधिनियम, यह आवश्यक नहीं है कि भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किए गए लेनदेन v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

पार्टी बाजार में हेरफेर करने के इरादे से थी और वास्तव में बाजार में हेरफेर किया गया था। बाजार हेरफेर बाजार के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन में हस्तक्षेप करने और कृत्रिम, गलत या भ्रामक रूप बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। मूल्य, बाजार, उत्पाद, प्रतिभूति और मुद्रा के संबंध में। [पैरा 35] [1000-ई-जी]

8. प्रत्यर्थी-तथ्यों पर राखी ट्रेडिंग और कसम होल्डिंग गैर-वास्तविक लेनदेन में लगे हुए पाए गए हैं।

व्यापार की उपस्थिति पैदा करना। यदि हेरफेर का तथ्य स्थापित हो जाता है, तो यह आवश्यक रूप से होगा कि बाजार में निवेशकों को खरीदने या बेचने के लिए प्रेरित किया गया है और इस संबंध में आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। बाजार इतना व्यापक है कि बोर्ड के लिए उन व्यक्तियों का पता लगाना मानवीय रूप से संभव नहीं हो सकता है जिन्हें वास्तव में हेरफेर के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए प्रेरित किया गया था और बोर्ड पर बोझ नहीं डाला जा सकता है

जिसे छोड़ना असंभव है। [पैरा 36] [1000-एच; 1001 ए]

9. शेयर बाजार को मुख्य रूप से एस. ई. बी. आई. द्वारा और कुछ हद तक आर्थिक मामलों के विभागों और कम्पा द्वारा विनियमित किया जाता है।

भारत सरकार के मामले। बाजार में हेरफेर हो सकता है।

विभिन्न तरीकों से। हेरफेर/अनुचित व्यापार पद्धतियाँ बाजार की प्रभावशीलता को कम करती हैं। एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 में बोर्ड के कार्यों का प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा जो वह उचित समझे। इस संबंध में एस. ई. बी. आई. का मुख्य कार्य प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए जांच, जांच और निर्देश देना है। प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं, बाजार में हेरफेर, मूल्य में धांधली और अन्य धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, एस. ई. बी. आई. को पूछताछ और निरीक्षण करने का अधिकार है। [पैरा 40] [1003-बी-डी] 10. पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 के विनियम 3 और 4 के साथ पठित एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 12 ए का उद्देश्य अनिवार्य रूप से 'बाजार की अखंडता को बनाए रखना और' बाजार के दुरुपयोग 'को रोकना है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूतियों को बढ़ावा देना है।

प्रतिभूति बाजार का विकास और विनियमन करना ताकि [2018] 1 एस. सी. आर.

निवेशक की सुरक्षा को बढ़ावा देना। पूंजी बाजार नियामक, एस. ई. बी. आई. को निवेशकों के हितों की रक्षा करने और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए लक्षित सभी प्रासंगिक एस. ई. बी. आई. नियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। पर्यवेक्षी पदाधिकारी/नियामक निकाय के रूप में, एस. ई. बी. आई. का कर्तव्य और दायित्व है कि वह सामान्य वास्तविक वस्तुओं की रक्षा करे। निवेशकों और एस. ई. बी. आई. को एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 के तहत ऐसा करने का अधिकार है ताकि प्रतिभूति बाजार को प्रतिभूतियों में व्यवसाय करने के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित स्थान बनाया जा सके। उसी समय, पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की आड़ में, SEBI को प्रभावित नहीं कर सकता है

बाजार या बाजार उन्मुख रचनात्मकता का विकास। गहन पर्यवेक्षण प्रतिभूति बाजार के मार्ग को विकृत कर सकता है।

विकास; लेकिन कर चोरी आदि जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं/हेरफेर वाले बाजार के लिए एस. ई. बी. आई. मूक दर्शक नहीं हो सकता है। बाजार की ताकतों और नियामक निकाय के हस्तक्षेप के बीच सही संतुलन खोजने के लिए, एस. ई. बी. आई. को उन लोगों से सख्ती से निपटना होगा जो हेरफेर वाले व्यापार में लिप्त हैं और

बाजार का दुरुपयोग करने और साथ ही बाजार के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भ्रामक उपकरण। इसे ध्यान में रखते हुए

प्रतिवर्ती लेन-देन, मात्रा, मूल्य और समय और बिक्री, पक्षकारों द्वारा भारी मूल्य भिन्नताओं के साथ इस तरह के व्यापार लेन-देन की संख्या में लगातार बने रहने के कारण, यह मानना बहुत सरल होगा कि लेन-देन स्क्रीन-आधारित व्यापार के माध्यम से होते हैं और इसलिए गुमनाम होते हैं। इस तरह का निष्कर्ष समाप्त हो जाएगा-मन की पूर्व बैठक को देखते हुए जिसमें खरीद और बिक्री आदेश का समन्वय शामिल है और नहीं बोर्ड के परिपत्र के अनुसार बातचीत किए गए सौदे। विवादित लेन-देन वांछित नुकसान और/या लाभ पैदा करने के लिए हेरफेर/भ्रामक उपकरण हैं। इस तरह का समक्रमित व्यापार प्रतिभूतियों में व्यापार के पारदर्शी मानदंडों का उल्लंघन है। यदि एस. ए. टी. के निष्कर्षों को बनाए रखना है, तो इसके बाजार की अखंडता को कम करने वाले गंभीर परिणाम होंगे और एस. ए. टी. के विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 41,42,43,46] [1003-डी-ई; 1005-बी-सी, ई-जी; 1006-ई-जी]

केतन पारेख बनाम। SEBI (2004 की अपील संख्या 2); केतन पारेख बनाम। SEBI, मनु/SB/0229/2006; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड v. किशोर आर. अजमेर (2016)

6 एससीसी 368:

[2016] 1 एस. सी. आर. 1118; भारत का निर्मल बैंग सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. रैक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड।

प्रतिभूति निजी लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, प्रतिभूति और

भारतीय विनिमय बोर्ड MANU/SB/0206/2003; SEBI

वी. एकॉर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एम. ए. एन. यू./एस. बी./0136/2007;

नारायणन बनाम। न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रतिभूति और

भारतीय विनिमय बोर्ड (2013) 12 एस. सी. सी. 152; वीरम निवेश प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. प्रतिभूति और विनिमय

भारतीय बोर्ड MANU/SB/0046/2005-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

प्रति कुरियन जोसेफ, जे।

[2016] 1 एससीआर 1118

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

प्रति भानुमति, जे।

[2016] 1 एससीआर 1118

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

(2013) 12 एससीसी 152

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1

2011 से।

प्रतिभू के 11.10.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 की अपील सं. 70 में अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई

के साथ

सिविल अपील सं। 3174-3177 और 2011 का 3180।

गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, भार्गव वी. देसाई, साहिल टागोत्रा,

मुखर्जी, अक्षत मालपानी, अपीलार्थी के वकील।

श्याम दीवान, पी. चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मुमताज भ

सुश्री अभिलाषा विज, सुश्री समीक्षा गोदियाल, सुश्री अनीशा उपाध्याय, निस कुमार, अनिकेत गौतम, निरव मर्चेंट, सोमशेखर सुंदरे मयंक मिश्रा, दिव्यम अग्रवाल, रितुंजय गुप्ता, धीरज एन प्रीतीश कपूर, रंजीत बी. राउत, सुश्री सुरभी कपूर, सुश्री बीना गु विक्रम मेहता, सुश्री राका चटर्जी, विकास मेहता, अभय कुमार, मृदुला रे भारद्वाज, उत्तरदाताओं के वकील।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कुरियन, जे. 1. निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता

भारत में शेयर बाजार की विशिष्टताएँ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसके बाद "एस. ई. बी. आई". के रूप में संदर्भित) सतर्क प्रहरी है। क्या तथ्यात्मक मैट्रिक्स ने वॉचडॉग के काटने को उचित ठहराया है इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा।

2. पार्टी उत्तरदाताओं के दो समूह हैं-व्यापारी और

दलाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) के विनियम 3 (ए), (बी) और (सी) और 4 (1), (2) (ए) और (बी) के उल्लंघन के लिए व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रतिभूति बाजार से संबंधित) विनियम, 2003 (इसके बाद "पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम" के रूप में संदर्भित)। दलालों के मामले में आरोप यह है कि उन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 7 ए (1), (2), (3) और (4) का भी उल्लंघन किया है।

3. जैसा कि हमारे सामने तीन व्यापारी और तीन शामिल हैं।

दलालों, सुविधा के लिए, हमने न्यायनिर्णायक अधिकारी (इसके बाद "ए. ओ". के रूप में संदर्भित) और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "एस. ए. टी". के रूप में संदर्भित) के निर्णय की तिथियों को नीचे दी गई तालिका में निकाला हैः

एस. नं.

पार्टी का नाम

व्यापारी/दलाल

तिथि

एसएटी की निर्णय तिथि

ए. ओ. का आदेश

राखी व्यापार

26.03.2009

व्यापारी

1 .

11.1
0.2010

प्राइवेट लिमिटेड

(" राखी ट्रेडिंग ")

तुंगरली व्यापार-स्थल व्यापारी

2 .

30.04.2010

16.1
1.2010

प्राइवेट लिमिटेड

(" तुंगरली ")

26.1
0.2010

3 .

टीएलबी प्रतिभूति

व्यापारी

16.03.2009

सीमित

(" टीएलबी ")

इंडियाबुल्स प्रतिभूति दलाल

4 .

26.1
0.2010

25.02.2009

सीमित
(" इंडियाबुल्स ")

एंजेल कैपिटल एंड ब्रोकर

5 .

22.05.2009

26.1

0.2010

ऋण बाजार

सीमित ("एंजेल")

प्रशांत जयंतीलाल ब्रोकर

6 .

26.1

0.2010

31.08.2009

पटेल ("प्रशांत")

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

एस. ए. टी. ने उपरोक्त सभी मामलों में ए. ओ. के निर्णयों को अलग कर दिया। पीड़ित, एस. ई. बी. आई. इस न्यायालय के समक्ष धारा 15 जेड के तहत है

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद "एस. ई. बी. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। 4. तथ्य और कानून दोनों जटिल हैं, और इसलिए, हम पहले कानूनी ढांचे का विश्लेषण करेंगे।

5. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 था

पेश किया गया ". प्रतिभूतियों में अवांछनीय लेनदेन को रोकने के लिए उसमें लेनदेन के व्यवसाय को विनियमित करके, उससे जुड़े कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करके"। व्युत्पन्न में अनुबंधों से संबंधित धारा 18 ए को 22.02.2000 से लागू किया गया था। प्रावधान इस प्रकार हैः

" 18 ए. व्युत्पन्न में अनुबंध। - किसी भी बात के बावजूद

तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में निहित, व्युत्पन्न अनुबंध कानूनी और वैध होंगे यदि ऐसे अनुबंध -

(क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है;

(ख) मान्यता प्राप्त स्टॉक के समाशोधन गृह पर निपटाया गया

विनिमय; या ऐसे नियमों और उप-कानूनों के अनुसार

स्टॉक एक्सचेंज;

(ग) ऐसे पक्षों के बीच और ऐसी शर्तों पर जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

" व्युत्पन्न को 1956 के अधिनियम की धारा 2 (ए. सी.) के तहत परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

" 2 (क)] "व्युत्पन्न" में शामिल हैं -
(4) ऋण लिखत, शेयर, ऋण, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित, जोखिम लिखत या मतभेदों के लिए अनुबंध से प्राप्त प्रतिभूति

या सुरक्षा का कोई अन्य रूप;

(बी) एक अनुबंध जो अंतर्निहित प्रतिभूतियों की कीमतों या कीमतों के सूचकांक से अपना मूल्य प्राप्त करता है।

(ग) जिंस व्युत्पन्न; और

((घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले अन्य दस्तावेज।

सरकार व्युत्पन्न होगी; "[2018] 1 एस. सी. आर.

6. " प्रतिभूतियों में विकल्प को धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है।

1956 अधिनियम, जो निम्नानुसार हैः

भविष्य में, और इसमें एक तेजी, एक मंडी, एक तेजी मंडी, एक गली, एक पुट शामिल है, प्रतिभूतियों में एक कॉल या पुट एंड कॉल "।

7. "प्रतिभूति" शब्द को 1956 की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित किया गया है।

अधिनियम, जो निम्नानुसार हैः

" 2 (ज) "प्रतिभूतियों" में शामिल हैं -

(i) शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या

समान प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय।

XXX

XXX

XXX

(ia) व्युत्पन्न; "

8. 1992 में, एस. ई. बी. आई. अधिनियम पेश किया गया था।

प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के लिए और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए एक बोर्ड की स्थापना।

9. एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 एच. ए. के लिए दंड का प्रावधान है

धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार। प्रावधान इस प्रकार हैः

" 15 हा. धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दंड।

यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त है प्रतिभूतियों के संबंध में, वह एक दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो नहीं होगा

पाँच लाख रुपये से कम लेकिन जो पँचिश तक बढ़ सकता है

करोड़ रुपये या लाभ की राशि का तीन गुना इस तरह की प्रथाएं, जो भी अधिक हो।

10. धारा 151 के तहत निर्णय दिया जाता है। धारा 15 टी

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ एस. ए. टी. को अपील करने का प्रावधान है और धारा 15 जेड एस. ए. टी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करती है।

11. एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 30 के तहत बोर्ड,

अधिसूचना जारी करके, इस अधिनियम और भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुरूप विनियम बनाएँ।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके तहत बनाया गया है। पीएफयूटीपी विनियमों को 17.07.2003 पर अधिसूचित किया गया था।

12. पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का विनियम 2 (1) (बी) "प्रतिभूतियों में लेनदेन" की परिभाषा प्रदान करता है, जो निम्नानुसार है:

" 2 (1) (ख) "प्रतिभूतियों में लेन-देन" में किसी प्रतिभूति के किसी भी मुद्दे के अनुसार खरीदने, बेचने या सदस्यता लेने का कार्य शामिल है या

अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट मूलधन, अभिकर्ता या मध्यस्थ के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रतिभूति के किसी भी मुद्दे को खरीदना, बेचना या सदस्यता लेना या अन्यथा किसी भी प्रतिभूति में किसी भी तरह से लेनदेन करना।

13. पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का अध्याय 2 जिसमें विनियम 3 और 4 शामिल हैं, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार के निषेध से संबंधित है।

बाजार में प्रतिभूतियों से संबंधित प्रथाएँ। विनियम 3 प्रतिभूतियों में कुछ लेन-देन के बारे में निषेध की बात करता है और विनियम 4 जोड़-तोड़, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध का प्रावधान करता है। वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक विनियम निम्नानुसार हैं:

" 3. प्रतिभूतियों में कुछ लेन-देन का निषेध

कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं करेगा

धोखाधड़ी में प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या अन्यथा सौदा करें

(अ)

तरीका;

(बी) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित किसी प्रतिभूति के निर्गम, खरीद या बिक्री के संबंध में उपयोग या नियोजित करना।

स्टॉक एक्सचेंज, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई हेरफेर या भ्रामक उपकरण या साजिश या

उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम;

(ग) धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, योजना या कलाकृति का उपयोग करें।

किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के लेनदेन या जारी करने के संबंध में;

(घ) व्यवसाय के किसी भी कार्य, अभ्यास, पाठ्यक्रम में संलग्न हों जो

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के किसी भी सौदे या निर्गम के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी या छल के रूप में काम करता है या काम करेगा।

" 4. हेरफेर, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध

(1) विनियम 3 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कोई भी व्यक्ति

धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार अभ्यास असुरक्षा में लिप्त होगा। (2) प्रतिभूतियों में लेनदेन को धोखाधड़ी या धोखाधड़ी माना जाएगा।

अनुचित व्यापार अभ्यास यदि इसमें धोखाधड़ी शामिल है और इसमें सभी या कोई भी शामिल हो सकता है

निम्नलिखित में से, अर्थात्:

इस तरह की प्रतिभूति की कीमत में वृद्धि, कमी या उतार-चढ़ाव का कारण बनें। गलत लाभ या हानि से बचने के लिए;

XXX

XXX

XXX

(ङ) मूल्य में हेरफेर करने के लिए कोई कार्य या चूक

एक सुरक्षा;

XXX

XXX

XXX

(छ) बिना किसी इरादे के प्रतिभूतियों में लेन-देन करना इसे निष्पादित करना या इसके स्वामित्व को बदलने के इरादे के बिना

सुरक्षा;

14. विनियम अनुचित व्यापार के लिए कोई परिभाषा प्रदान नहीं करते हैं।

आई. सी. एस. लेकिन "धोखाधड़ी" और "धोखाधड़ी" के तहत परिभाषित किया गया है

लैशन 2 (1) (सी), जो नीचे दिया गया है:

" 2 (1) (ग) "धोखाधड़ी" में कोई कार्य, अभिव्यक्ति, चूक या छूट शामिल है। छलपूर्ण तरीके से किया गया छिपाना या नहीं

व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी मिलीभगत से या उसके एजेंट द्वारा

प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय किसी अन्य व्यक्ति या उसके

प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए एजेंट, चाहे कोई गलत काम हो या न हो

(1) सत्य का गलत निरूपण या छिपाना भौतिक तथ्य ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसके नुकसान के लिए कार्य कर सके; भारत का सुधार और विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

(2) एक ऐसे तथ्य के बारे में एक सुझाव जो सच नहीं है

इसे सच मानते हैं;

या तथ्य का विश्वास; (4) उसे पूरा करने के किसी भी इरादे के बिना किया गया वादा;

(5) लापरवाही और लापरवाही से किया गया प्रतिनिधित्व

चाहे वह सच हो या गलत;

(6) ऐसा कोई कार्य या चूक जैसा कि कोई अन्य कानून विशेष रूप से घोषित करता है

(7) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को सूचित करने से वंचित करने वाला भ्रामक व्यवहार सहमति या पूर्ण भागीदारी,

सच होने के लिए। (9) प्रतिभूतियों के जारीकर्ता का गलत सूचना देने का कार्य जो

सद्भावना में की गई टिप्पणियां ((a) सरकार की आर्थिक नीति

((b) देश की आर्थिक स्थिति

(ग) प्रतिभूति बाजार में रुझान;

((घ) समान प्रकृति का कोई अन्य पदार्थ। चाहे ऐसी टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से की गई हों या निजी रूप से;

XXX

XXX

XXX

(ङ) "प्रतिभूतियाँ" से धारा 2 में परिभाषित प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं।

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42)।

15. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर)

यू. बी.-ब्रोकर) विनियम, 1992 अनुसूची II में कोड से संबंधित है।

शेयर दलालों के लिए एन. डी. यू. टी. जो निम्नानुसार हैः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" अनुसूची II

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) विनियम, 1992

स्टॉक ब्रोकरों के लिए अनुबंध का कोड

[नियम 7]

ए. जनरल।

(1) ईमानदारीः एक स्टॉक-ब्रोकर अपने सभी कार्यों में ईमानदारी, शीघ्रता और निष्पक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखेगा।

व्यवसाय।

(2) उचित कौशल और देखभाल का अभ्यासः एक शेयर-दलाल अपने सभी व्यवसाय के संचालन में उचित कौशल, देखभाल और परिश्रम के साथ कार्य करेगा।

(3) हेरफेरः एक शेयर-दलाल इसमें शामिल नहीं होगा।

हेरफेर, धोखाधड़ी या भ्रामक लेनदेन या योजनाएं या बाजार संतुलन को विकृत करने या व्यक्तिगत लाभ कमाने की दृष्टि से अफवाहें फैलाएं।

(4) कदाचारः एक शेयर-दलाल अकेले या दूसरों के साथ मिलकर झूठा बाजार नहीं बनाएगा या किसी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होगा जो निवेशक के हित के लिए हानिकारक हो या जिससे

बाजार के निष्पक्ष और सुचारू संचालन में हस्तक्षेप। एक शेयर दलाल अत्यधिक अटकलों में खुद को शामिल नहीं करेगा।

उचित स्तर से परे बाजार में व्यवसाय नहीं

उसकी वित्तीय मजबूती के अनुरूप।

(5) वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालनः एक स्टॉक-ब्रोकर करेगा

अधिनियम के सभी प्रावधानों और सरकार, बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नियमों, विनियमों का पालन करना।

समय-समय पर जो उस पर लागू हो।

16. चूंकि तथ्य कुछ तकनीकी लेनदेन से संबंधित हैं, इसलिए हमें अनिवार्य रूप से उनके अर्थ और सामग्री से निपटना होगा।

17. व्युत्पन्न-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का एक रूप है जिनका प्रतिभूति बाजार में व्यापार किया जाता है और जिनके मूल्य अंतर्निहित चर जैसे बाजार के नकद खंड में एक क्यूलर स्क्रिप के शेयर मूल्य या शेयरों के पोर्टफोलियो के स्टॉक सूचकांक के मूल्य से प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न व्यापार 956 अधिनियम की धारा 18 ए द्वारा नियंत्रित होता है। दो प्रकार के व्युत्पन्न उपकरण हैं-'वायदा' सुरक्षा और भारत का विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

और 'विकल्प'। वायदा और विकल्पों में, व्यापार या तो व्यक्तिगत शेयरों का हो सकता है या निफ्टी, बैंक निफ्टी आदि जैसे सूचकांकों का हो सकता है।

18. भविष्य का अनुबंध दो पक्षों के बीच अनुबंध की तारीख पर सहमत एक निश्चित मूल्य पर भविष्य में एक निश्चित समय पर एक संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए एक समझौता है। सभी वायदा अनुबंधों का भुगतान नकद में किया जाता है।

19. विकल्प-विकल्प एक खरीदार और विक्रेता के बीच अनुबंध हैं जो अंतर्निहित वस्तु को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं देता है।

एक निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले बताए गए मूल्य पर परिसंपत्ति। जबकि एक विकल्प का खरीदार प्रीमियम का भुगतान करता है और अपने विकल्प का उपयोग करने के अपने अधिकार को खरीदता है, एक विकल्प का लेखक वह है जो विकल्प प्रीमियम प्राप्त करता है और इसलिए खरीदार द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार संपत्ति को बेचने या खरीदने के लिए बाध्य है।

विकल्प दो प्रकार के होते हैं, 'कॉल' और 'पुट'। कॉल विकल्प खरीदार को अधिकार देता है लेकिन किसी दी गई मात्रा में खरीदने का दायित्व नहीं देता है।

भविष्य की किसी तिथि को या उससे पहले दी गई कीमत पर अंतर्निहित परिसंपत्ति। लगायें।

विकल्प खरीदार को अधिकार देता है, लेकिन भविष्य की किसी तारीख को या उससे पहले दी गई कीमत पर अंतर्निहित संपत्ति की दी गई मात्रा को बेचने का दायित्व नहीं देता है। 20. राखी ट्रेडिंग के मामले में विवादित एस. ए. टी. आदेश ने विकल्पों के काम करने के बारे में संक्षेप में बताया है:

" 2. ..... एक विकल्प अनुबंध में विक्रेता खरीदार को एक अधिकार बेचता है और चूंकि बिना लागत के कुछ भी नहीं बेचा जा सकता है, इसलिए पहला खरीदार से एक राशि लेता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। यह प्रीमियम है जो एक विकल्प अनुबंध में एकमात्र परक्राम्य तत्व है जिसे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापार पटल पर बातचीत की जाती है। प्रत्येक व्यापार चक्र की शुरुआत में जो संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किया जाता है, वह (स्टॉक एक्सचेंज) स्टॉक विकल्पों के मामले में विशेष शेयरों के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर स्ट्राइक दरों की एक श्रृंखला निर्धारित करता है, जिन्हें एफ एंड ओ खंड में कारोबार करने की अनुमति है। सूचकांक विकल्पों के मामले में, हड़ताल दरें नकदी में सूचकांक मूल्य के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं। खंड। ये हड़ताल दरें
बाजार की सामान्य धारणा, तेजी और मंदी, दोनों पर आधारित हैं। प्रचलित बाजार मूल्य/सूचकांक मूल्य के ऊपर और नीचे दोनों ओर समान संख्या में हड़ताल दरें स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय की जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज लॉट में कारोबार किए जाने वाले अनुबंधों के आकार को भी तय करता है।

निवेशक विकल्प अनुबंधों में व्यापार करना चुनता है, उसे चुनना होता है

एक स्क्रिप या निफ्टी, फिर आकलन करें कि क्या वह ऊपर जाएगा या नहीं

अगली निपटान तिथि और कितनी तक। यही उसका है। जुआ खेलते हैं। तदनुसार, वह एक स्ट्राइक रेट का चयन करेगा जो है

व्यायाम मूल्य। फिर वह "कॉल विकल्प" या "पुट" खरीद या बेच सकता है।

विकल्प "। कॉल विकल्प "खरीदने" का एक विकल्प है, यानी अनुबंध।

चयनित हड़ताल पर निपटान तिथि पर शेयर खरीदना है। दर। पुट विकल्प बेचने का एक विकल्प है, यानी अनुबंध बेचने का है।

चयनित हड़ताल दर पर निपटान तिथि पर शेयर। में।

में अंतर्निहित या सूचकांक के मूल्य का मामला नकद खंड चयनित हड़ताल दर/व्यायाम मूल्य से नीचे चला जाता है,

खरीदार के पास अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए कोई आकर्षण नहीं होगा

अनुबंध और अनुबंध को समाप्त होने देगा और इस तरह हार जाएगा

जो भी प्रीमियम उसके द्वारा दिया गया था। प्रीमियम राशि है

अधिकतम जो बाजार के आगे बढ़ने की स्थिति में खरीदार खो सकता है उसकी धारणा के विपरीत। अंतर्निहित मूल्य या

नकदी खंड में सूचकांक मूल्य से परे जाना था

चयनित हड़ताल दर/व्यायाम मूल्य, खरीदार निश्चित रूप से

अनुबंध के तहत अपने विकल्प का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना अधिक है

मूल्य या स्टॉक सूचकांक प्रीमियम को समायोजित करने के बाद चला गया है

राशि। ये कुछ प्रेरक कारक हैं जो वजन बढ़ाते हैं

विकल्प अनुबंधों में निवेशकों के साथ। यह एक तरफा अनुबंध है।

जहां खरीदार को नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, तो वह केवल

प्रीमियम राशि जबकि वह हानि जिसका सामना करना पड़ सकता है, यदि -

किसी भी तरह से, खरीदार द्वारा केवल प्रीमियम राशि तक सीमित है जबकि

वह हानि जो अनुबंध के लेखक को झेलनी पड़ सकती है (विक्रेता) असीमित है। यदि अनुबंध की अवधि के दौरान बाजार

विक्रेता (लेखक) की धारणा बदल जाती है या बाजार शुरू हो जाता है

अपनी अपेक्षाओं के विपरीत, वह कैप करने की अपनी चिंता में हो सकता है

उसके नुकसान, एक विपरीत स्थिति लेते हैं। फिर वह एक प्रस्ताव रखेंगे।

या उसी विकल्प के लिए अधिक प्रीमियम का प्रस्ताव स्वीकार करें और

इस प्रभाव में उसके परिणामस्वरूप अनुबंध को फिर से खरीदा जाएगा

अधिक नुकसान से बचने के लिए उच्च दर/प्रीमियम "।

(जोर दिया गया)

21. सूचकांक-एक शेयर बाजार सूचकांक सापेक्ष का एक माप है

संख्यात्मक रूप से शेयरों के एक समूह का। एक के भीतर शेयरों के रूप में

मान बदलते हैं, सूचकांक मूल्य बदलता है। निफ्टी 50 एक सूचकांक है

नैल स्टॉक एक्सचेंज जो 50 कंपनियों के व्यवहार पर नज़र रखता है

भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

22. सूचकांक में व्यापार-एक निवेशक व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को खरीदने के बजाय सूचकांक वायदा खरीदकर पूरे शेयर बाजार में भी व्यापार कर सकता है।

सूचकांक वायदा में व्यापार के लाभ हैं-अनुबंध अत्यधिक तरल होते हैं, सूचकांक वायदा किसी भी अन्य स्टॉक की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करता है, इसके लिए तुलनात्मक रूप से कम प्रारंभिक पूंजी निवेश (केवल प्रीमियम) की आवश्यकता होती है, इसमें स्टॉक खरीदने और रखने की तुलना में कम जोखिम होता है, लंबे पक्ष के रूप में छोटे पक्ष का व्यापार करना उतना ही आसान है, व्यापारी को कई शेयरों के बजाय केवल एक सूचकांक का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है और अंत में, अनुबंधों को स्टॉक एक्सचेंज में नकद में निपटाया जाता है और इसलिए, खराब वितरण, नकली या जाली प्रमाण पत्र आदि से संबंधित सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। 1.

23. हाथ में मामला, अन्य बातों के साथ-साथ, समकालिक व्यापार से संबंधित प्रश्नों से संबंधित है। समकालिक व्यापार की अवधारणा रही है

केतन पारेख बनाम में एस. ए. टी. द्वारा समझाया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। उद्धृत करने के लिएः

" 20. ..... " एक समक्रमित व्यापार वह है जहाँ खरीदार और विक्रेता उन शेयरों की मात्रा और मूल्य दर्ज करते हैं जो वे एक ही समय में लेन-देन करना चाहते हैं। यह एक ही दलाल (जिसे क्रॉस डील कहा जाता है) या दो अलग-अलग दलालों के माध्यम से किया जा सकता है। सौदा पूरा होने से पहले प्रत्येक खरीद और बिक्री आदेश का मिलान करना पड़ता है। यह मिलान स्टॉक एक्सचेंज तंत्र या बाजार से बाहर के माध्यम से हो सकता है। जब यह स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मेल खाता है, तो यह एक समकालिक सौदा हो भी सकता है और नहीं भी।

वह समय जब खरीद और बिक्री के आदेश दिए जाते हैं। ..... '

तथ्यः

24. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में तीन व्यापारी और तीन दलाल शामिल हैं।

व्यापारीः

राखी व्यापारः राखी ट्रेडिंग को 05.10.2007 पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट (इसके बाद "F & O सेगमेंट" के रूप में संदर्भित) में गैर-वास्तविक लेनदेन के निष्पादन का आरोप लगाते हुए एक कारणदर्शक नोटिस (इसके बाद "SCN" के रूप में संदर्भित) जारी किया गया था। विचाराधीन व्यापार निफ्टी विकल्पों से संबंधित हैं। अपने निर्णय में, ए. ओ. ने व्यापार लॉग का विश्लेषण किया और देखा कि राखी ट्रेडिंग द्वारा निष्पादित व्यापार कुछ सेकंड में काउंटर-पार्टी कसम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ मेल खाते हैं। द. ' यह जानकारी एन. एस. ई. हैंडबुक ऑन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से ली गई है। 2 एस. ए. टी. के समक्ष 2004 की अपील सं. 2।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निफ्टी अनुबंध में सभी व्यापारों के लिए काउंटर-पार्टी कासम होल्डिंग प्राइवेट थी। लिमिटेड और पलटा मिनटों/घंटों के मामले में हुआ। ए. ओ. ने यह भी नोट किया कि विभिन्न अवसरों पर, जब समय नहीं था

संबंधित पक्षों द्वारा मिलान किया गया, पहला ऑर्डर बाजार मूल्य के सापेक्ष एक अनाकर्षक मूल्य पर रखा गया था। ये लेन-देन 21.03.2007,22.03.2007 पर हुए थे। 23.03.2007 और 30.03.2007 और इसके परिणामस्वरूप अंतर्निहित मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना 115.79 लाख रुपये का अंतर आया।

तुंगरलीः तुंगरली को एस. सी. एन. <आई. डी1> पर जारी किया गया था। एस. सी. एन. में आरोप था कि इन समन्वित लेनदेन के माध्यम से, एक पक्ष ने लाभ दर्ज किया और दूसरे पक्ष ने नुकसान दर्ज किया। कारोबारों

भविष्य के लेखों से संबंधित। ए. ओ. के आदेश में कहा गया है कि खरीद और बिक्री व्यापार मूल्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाते हुए कुछ ही सेकंड में सभी मामलों में व्यापार को उलट दिया गया था। स्थिति में परिवर्तन अंतर्निहित प्रतिभूति की कीमत में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन/नगण्य परिवर्तन के बिना हुआ। लेन-देन 12.03.2007,15.03.2007,23.03.2007,26.03.2007 और 28.03.2007 पर हुआ और तुंगरली द्वारा किया गया कुल लाभ 64.52 लाख रुपये था। टीएलबीः एस. सी. एन. टी. एल. बी. को 05.10.2007 पर जारी किया गया था। कारोबार भविष्य के शेयरों से संबंधित थे। ए. ओ. के आदेश के अनुसार, टी. एल. बी. ने स्टॉक ब्रोकर एस. एम. सी. ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के माध्यम से व्यापार किया और वही ब्रोकर काउंटर पार्टी ब्रोकर भी है, जो विभिन्न ग्राहकों की ओर से व्यापार करता है। सभी

टीएलबी द्वारा किए गए लेन-देन के परिणामस्वरूप टीएलबी को नुकसान हुआ और कुल नुकसान रु। 38.69 लाख। विचाराधीन लेनदेन 22.01.2007,23.01.2007,31.01.2007,01.02.2007,05.02.2007 और 06.02.2007 पर हुए। ए. ओ. के आदेश में कहा गया है कि कई मामलों में, अंतर्निहित मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाते हुए कुछ ही मिनटों में व्यापार को उलट दिया गया था। ए. ओ. के आदेश में कहा गया है कि जांच के दौरान यह भी देखा गया कि जब संबंधित पक्षों द्वारा समय का मिलान नहीं किया गया था, तो पहला ऑर्डर जो दिया गया था वह बाजार मूल्य के सापेक्ष एक अनाकर्षक मूल्य पर था।

दलालः

इंडियाबुल्सः यह मामला 21 वायदा में 23 रिवर्स ट्रेडों और 22 अलग-अलग शेयरों पर 2 विकल्पों और एक बैंक निफ्टी वायदा से संबंधित है। द.

ए. ओ. इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि कई मामलों में, अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन के बिना सेकंड/मिनट के मामले में उलटफेर हुआ। ए. ओ. रिकॉर्ड करता है कि इंडियाबुल्स के प्रतिनिधि ने भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

यह कि वे ग्राहकों के इरादे के बारे में नहीं जान सकते थे, हालांकि, प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि व्यापार गैर-वास्तविक थे और नहीं होना चाहिए था। एन्जेलः एस. सी. एन. दिनांक 05.10.2007 में आरोप यह है कि एक स्टॉक-ब्रोकर के रूप में, इसने 56 रिवर्सल ट्रेडों को अंजाम दिया। ए. ओ. के अनुसार, इन व्यापारों को कुछ ही मिनटों/घंटों में उलट दिया गया था। हालांकि, ए. ओ. ने इस तरह के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए एंजेल द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों का उल्लेख किया

दिन के दौरान एक ऐसी कीमत पर जो उस कीमत से काफी ऊपर या नीचे थी जिस पर पहला/मूल लेनदेन किया गया था। 25. कारण दर्शाओ नोटिस में आरोपों की जड़ यह है कि पक्ष डेरिवेटिव खंड में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री कर रहे थे

एक ऐसी कीमत पर जो समक्रमित और विपरीत लेनदेन में अंतर्निहित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती थी।

26. एससीएन को जवाब दाखिल करने और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद, एओ ने राखी ट्रेडिंग के मामले में एक विस्तृत आदेश पारित किया। पैराग्राफ 22 से 24 इस प्रकार हैंः

" 22. यदि नोटिस प्राप्तकर्ता को दिए गए ऑर्डर लॉग से व्यक्तिगत व्यापार देखा जाता है, तो यह देखा जाता है कि खरीद और बिक्री आदेश के बीच समय का अंतर केवल सेकंड में है। अधिकांश ऑर्डरों का मिलान 1,2 या 3 सेकंड के समय अंतराल में किया गया था और कई ऑर्डर सटीक सेकंड से मेल खाते हैं, यानी समय का अंतर 0 (शून्य) है। यह व्यापार के समन्वय के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है; अन्यथा व्यापार बार-बार व्यापार के साथ मेल नहीं खाते।

निफ्टी अनुबंधों में ठीक दूसरा जो विकल्प खंड में सबसे सक्रिय अनुबंध है। इसलिए यह नोटिस पाने वाले के इस कथन को खारिज कर देता है कि उसे कोई सामग्री या डेटा का खुलासा नहीं किया गया है।

किसी भी व्यापार के "समन्वय" के उक्त आरोप की पुष्टि करें।

23. नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए प्रतिवर्ती लेन-देन के विश्लेषण पर, यह देखा जाता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा निष्पादित 14 अनुबंधों में बाजार सकल का प्रतिशत 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है। निफ्टी के दो अनुबंधों में बाजार सकल का प्रतिशत 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह एक महत्वपूर्ण [2018] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित दिनों में व्यापार का प्रतिशत और कारोबार मूल्य

रु. था। उन दो रिवर्सल ट्रेडों के लिए 95.75 लाख। कारोबार

इनकी मात्रा भी अधिक होती है। कुल कारोबार मूल्य रु। 503.00 लाख केवल 4 (चार) कारोबारी दिनों के मामले में। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है

ध्यान दें, निफ्टी लगातार चलता रहता है। इसके अलावा, निफ्टी सबसे अधिक है।

एक्सचेंज पर कारोबार किए गए विकल्प अनुबंधों का सक्रिय होना और यह

में कारोबार किए गए अनुबंधों के 92.21 प्रतिशत में योगदान दिया मार्च 2007 के दौरान विकल्प खंड। इसके अलावा, मार्च 2007 में कारोबार किए गए कुल सूचकांक विकल्प अनुबंधों में निफ्टि विकल्प अनुबंधों का योगदान 99.97 प्रतिशत था (स्रोतः एन. एस. ई. वेबसाइट)। ऐसे परिदृश्य में यह देखा जाता है कि निफ्टी अनुबंधों में सभी व्यापारों के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता का काउंटर पार्टी कासम होल्डिंग प्राइवेट है। लिमिटेड (ब्रोकर वाइब्रेंट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से व्यापार), यह स्पष्ट रूप से देता है

एक पूर्व-व्यवस्था के अस्तित्व का संकेत /

ग्राहकों के बीच समन्वय/मिलान किए गए व्यापार। अन्यथा यह अवास्तविक प्रतीत होता है कि आदेश एक ही पक्ष के साथ बार-बार, संयोग की बात के रूप में, मात्रा और मूल्य दोनों के हिसाब से मेल खाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि बाजार में गलत या भ्रामक उपस्थिति पैदा करने का इरादा था और

यह भी कि एक हेरफेर/भ्रामक उपकरण का उपयोग किया गया था व्यापारों का समन्वय।

24. सभी निफ्टी अनुबंधों में नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा निष्पादित व्यापार, काउंटर पार्टी क्लाइंट, कासम होल्डिंग प्राइवेट के साथ मेल खाते हैं। लिमिटेड कुछ सेकंड से भी कम समय में। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि नोटिस प्राप्तकर्ता ने मिनटों/घंटों के भीतर रुपये के लाभ पर सभी उलट लेनदेन को निष्पादित किया। अंतर्निहित प्रतिभूति के मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना 107.79 लाख। इससे लेन-देन की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा होता है। तथ्य यह है कि इस तरह के लेन-देन समय की अवधि में बार-बार हुए थे

इस तरह के व्यापार की धोखाधड़ी की प्रकृति "।

इस प्रकार, ए. ओ. के अनुसार व्यापार और व्यापार के समन्वय के लिए एक जोड़-तोड़/भ्रामक योजना का उपयोग किया गया था।

प्रकृति में धोखाधड़ी/काल्पनिक। यह पाया गया कि उल्लंघन किया गया है पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी) और (सी) और 4 (1), (2) (ए) और (बी)। नतीजतन, रु. 1,08,00,000/- का जुर्माना लगाया गया।

यह एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15 एच. ए. के तहत लगाया गया है। एस. ए. टी. के समक्ष धारा 15 टी के तहत अपील दायर की गई थी। एक अपील का आदेश द्वारा निपटारा किया गया था

दिनांक 11.10.2010 जिसके तहत SAT ने SEBI के आदेश को दरकिनार कर दिया। राखी ट्रेडिंग में एस. ए. टी. आदेश के पैराग्राफ 5 से 8 में विस्तृत विचार उपलब्ध है, जो इस प्रकार हैः

भारत का क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

" 5. पूंजी बाजार में सूचकांक एक सांख्यिकीय संकेतक है कि बाजार कैसे काम कर रहा है और बाजार व्यवहार के लिए एक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। यह एक उत्पाद नहीं है, बल्कि संख्या में व्यक्त एक उपाय है और एक बेंचमार्क है जिसके खिलाफ वित्तीय या आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। नकद खंड में शेयरों के विपरीत, इसका कारोबार इस तरह से नहीं किया जाता है, हालांकि निवेशक एफ एंड ओ खंड में अंतर्निहित सूचकांक का उपयोग करके बाजार के व्यवहार पर अटकलें लगाते हैं। एन. एस. ई. के शेयर सूचकांक, निफ़्टी की गणना एन. एस. ई. के नकद खंड में कारोबार किए जा रहे पचास शेयरों के बाजार पूंजीकरण भारित विधि (शेयर मूल्य x बकाया शेयरों की संख्या) का उपयोग करके की जाती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के 22 विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाला एक अच्छी तरह से विविध स्टॉक सूचकांक है। निफ़्टी सूचकांक के लिए चुने जाने के लिए किसी विशेष स्टॉक की पात्रता स्टॉक की तरलता के साथ-साथ कंपनी के अस्थायी स्टॉक पर भी निर्भर करती है। इसलिए, निफ़्टी एक बहुत ही गतिशील सूचकांक है जो स्थिर नहीं है लेकिन लगातार विकसित होता है। जाहिर है, हेरफेर करने के लिए

कैश सेगमेंट में शेयरों का इतना विविध और बदलता पोर्टफोलियो बेहद मुश्किल है, अगर एफ एंड ओ सेगमेंट में व्यापार करना असंभव नहीं है। एन. एस. ई. ने अपनी वेबसाइट पर यह भी कहा है कि "स्टॉक की तुलना में स्टॉक सूचकांक में हेरफेर करना मुश्किल है।

कीमतें, भारत में अधिक और कॉर्नरिंग की संभावना कम हो जाती है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि एक व्यक्तिगत स्टॉक की सीमित आपूर्ति होती है जिसे घेर लिया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि जब निफ्टी का विकल्प अनुबंधों में कारोबार होता है, तो उस खंड में कीमतों में उतार-चढ़ाव का नकदी में मूल्य खोज प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। खंड जो विज्ञापन में लगाए गए आरोपों में से एक है-अंतरिम एकतरफा आदेश और कारण बताएँ नोटिस। कारण दर्शाओ नोटिस में अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि एफ एंड ओ खंड में निफ्टी विकल्पों में व्यापार निष्पादित करके "मूल व्यापार दिन के दौरान उस कीमत पर बंद कर दिए गए थे जो उस कीमत से काफी ऊपर या नीचे थी जिस पर पहला/मूल लेनदेन अंतर्निहित प्रतिभूति के व्यापार मूल्य में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना निष्पादित किया गया था"। आक्षेप यह है कि एफ एंड ओ खंड में हेरफेर वाले कारोबारों को निष्पादित करके, निफ्टी सूचकांक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। यह शुल्क इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि एफ एंड ओ खंड में निफ्टी विकल्पों की चाल नकदी खंड में निफ्टी सूचकांक की चाल के अनुरूप होनी चाहिए। यह धारणा गलत है और हम इससे सहमत नहीं हो सकते। नकदी खंड में सूचकांक का उतार-चढ़ाव सूचकांक [2018] 1 एस. सी. आर. को प्रभावित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भविष्य की घटनाओं का नकदी पर स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ सकता है। आज का खंड जहां शेयरों की डिलीवरी तुरंत दी/ली जाती है। इस तरह की घटनाओं का एफ एंड ओ बाजार में धारणाओं पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है जहां निवेशक एक खुली स्थिति रखता है और

अनुबंध की मुद्रा के दौरान निरंतर देयता जो आम तौर पर भविष्य की घटनाओं की प्रत्याशा के साथ एक से तीन महीने के लिए होती है जो हमेशा सभी प्रकार की संभावनाओं से गर्भवती होती हैं। एक बार फिर, अस्थिरता और अधिक नुकसान की संभावना बिना किसी समतुल्य नकदी बाजार के एफ एंड ओ बाजार में उतार-चढ़ाव को बढ़ावा दे सकती है। आंदोलनों। इसके अलावा, नकदी बाजार आज ऊपर जा सकता है लेकिन एफ एंड ओ बाजार के लिए भविष्यवाणी यह हो सकती है कि एक साल के अंत में

बाजार में महीने, दो महीने या तीन महीने की गिरावट आ सकती है। केवल सट्टेबाज जैसे अल्पकालिक निवेशक ही एफ एंड ओ में व्यापार करते हैं। बाजार में जबकि नकदी बाजार में दीर्घकालिक निवेशक भी व्यापार करते हैं। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि दोनों में आंदोलन

नकदी खंड में प्रदर्शन। ये उतार-चढ़ाव एफ एंड ओ खंड में निफ्टी विकल्पों की कीमत के उतार-चढ़ाव के साथ नहीं हो सकते क्योंकि सूचकांक के रूप में निफ्टी नकदी खंड में कारोबार करने में सक्षम नहीं है। कैश सेगमेंट में पचास शेयरों का कारोबार होता है जो निफ्टी का गठन करते हैं। कहने के लिए कि कुछ एफ एंड ओ खंड में निफ़्टी विकल्पों में हेरफेर व्यापार निफ़्टी सूचकांक को प्रभावित कर सकता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निफ्टी सूचकांक को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका नकदी खंड में सभी या अधिकांश शेयरों की कीमतों में हेरफेर करना है जो निफ्टी का गठन करते हैं। यह बेहद मुश्किल है, अगर असंभव नहीं है। पक्षकारों का यह सामान्य मामला है कि अपीलार्थी ने केवल 13 क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का व्यापार किया।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

एफ एंड ओ खंड में निफ्टी विकल्प अनुबंध करता है। यह मानते हुए कि ये सौदे हेरफेर थे, क्या ये कभी भी निफ्टी सूचकांक को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निफ्टी सूचकांक बहुत बड़ा है।

शेयरों का विविध पोर्टफोलियो जो एफ एंड ओ खंड में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बहुत कम प्रभावित होने में सक्षम नहीं है, विशेष रूप से निष्पादित मुट्ठी भर व्यापारों द्वारा। अपीलार्थी द्वारा। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि निफ्टी विकल्पों में 13 ट्रेडों को निष्पादित किया गया है

अपीलार्थी का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या निवेशकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न ही ये किसी भी तरह से निफ्टी सूचकांक को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में आरोप विफल होना चाहिए।

6. अपीलार्थी के खिलाफ एक अन्य आरोप यह है कि निफ़्टी विकल्पों में उसके लेन-देन काल्पनिक लेन-देन थे जिन्हें समक्रमित और उलट दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप भ्रामक रूप का निर्माण हुआ।

उन विकल्पों में व्यापार करें। व्युत्पन्न खंड अत्यधिक अस्थिर है और इसमें उच्च जोखिम के साथ व्यापार का एक जटिल रूप शामिल है और इस खंड के खिलाड़ी झुंड मानसिकता का पालन नहीं करते हैं जैसा कि अक्सर नकदी खंड में देखा जाता है, लेकिन बाजार के बारे में अपनी धारणा के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस खंड में व्यापार करने वाले व्यक्तियों की संख्या नकद खंड की तुलना में बहुत कम है। बोर्ड ने पाया है कि विकल्प खंड में अपीलार्थी द्वारा निष्पादित केवल 14 अनुबंध उस खंड में बाजार सकल का 30 से 50 प्रतिशत थे, हालांकि एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले विकल्प अनुबंधों में निफ़्टी सबसे अधिक सक्रिय है और

मार्च, 2007 के दौरान कारोबार में 92.21 प्रतिशत का योगदान दिया। यह इस तथ्य का संकेत है कि विकल्पों में खिलाड़ियों की संख्या

खंड बहुत कम है। नकदी खंड में कृत्रिम/काल्पनिक व्यापार मात्रा में वृद्धि करके किसी विशेष शेयर में सक्रिय व्यापार का गलत रूप देते हैं जो आम निवेशकों को उस शेयर में निवेश करने के लिए लुभाते हैं। निवेशकों को यह धारणा दी गई है कि यह शेयर अत्यधिक तरल है और इसकी बहुत मांग है और यह एक्सचेंज के मूल्य खोज तंत्र में हस्तक्षेप करता है और यही कारण है कि नकदी खंड में इस तरह के व्यापार को अवैध माना जाता है। हालाँकि, एफ एंड ओ खंड में ऐसा नहीं हो सकता है। चूँकि सभी व्यापार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं और इसके तंत्र के माध्यम से नकद में निपटाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कृत्रिम व्यापार नहीं कहा जा सकता है जिससे विकल्पों में व्यापार का भ्रामक रूप बन जाता है। आरोप गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. यह हमें अपीलार्थी द्वारा निष्पादित निफ्टी विकल्प अनुबंधों में खरीद और बिक्री आदेशों के समन्वय के मुद्दे पर लाता है, जहां 13 विवादित लेनदेनों में काउंटर पार्टी एक ही इकाई थी। आक्षेपित आदेश दर्ज करता है कि विकल्प खंड में सबसे सक्रिय अनुबंधों वाले निफ़्टी अनुबंधों का व्यापार उस तरह से नहीं किया जा सकता है जिस तरह से अपीलार्थी ने अपने आदेशों को काउंटर पार्टी क्लाइंट के साथ सेकंडों में मिलान करते हुए किया है। इसके अनुसार

न्यायनिर्णायक अधिकारी, अपीलार्थी और उसके विरोधी पक्ष के बीच एक पूर्व नियोजित व्यवस्था थी और उनका इरादा बाजार में एक गलत और भ्रामक उपस्थिति पैदा करना था और व्यापार को समन्वित करने के लिए एक हेरफेर उपकरण का उपयोग किया गया था। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि व्यापारों को समन्वित और उलट दिया गया था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि ये बाजार में हेरफेर नहीं करते हैं और केवल समकालिक व्यापार जो बाजार में हेरफेर करते हैं, प्रतिबंधित हैं। उन्होंने केतन पारेख बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 2004 की अपील संख्या 2 में इस न्यायाधिकरण के एक फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने आईसीआईसीआई ब्रोकरेज सर्विसेज लिमिटेड के मामले में बोर्ड द्वारा पारित आदेश का भी उल्लेख किया।

इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया था और दृढ़ता से तर्क दिया गया था कि चूंकि अपीलार्थी के समक्रमित व्यापार ने हेरफेर नहीं किया था

केतन पारेख के मामले (ऊपर) में इस न्यायाधिकरण ने कहा था कि समक्रमित व्यापार अपने आप में अवैध नहीं हैं, बल्कि केवल वे ही हैं जो किसी भी तरह से बाजार में हेरफेर करते हैं जो निषिद्ध हैं और विनियमों का उल्लंघन करते हैं। निर्मल बैंग प्रतिभूति में इस न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए प्रा. लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [2004] 49 एस. सी. एल. 421, बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपीलार्थी द्वारा निष्पादित समक्रमित व्यापारों से निपटने के दौरान निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" उपरोक्त कारण से, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि समक्रमित सौदे पहले से ही अवैध हैं, इसी कारण से, यह भारत का क्यूरिटी और एक्सचेंज बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी समक्रमित लेनदेन कानूनी और अनुमत हैं। सभी समक्रमित लेनदेन जिनके पास ई. एफ. है

बाजार में हेरफेर करना उचित बाजार व्यवहार के खिलाफ है।

चश्मे और इसलिए अवांछनीय और निषिद्ध।

हमने बोर्ड के आदेश से टिप्पणियों को केवल इस बात को उजागर करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया है कि बोर्ड यह भी समझता है कि कानून यह है कि केवल ऐसे समक्रमित व्यापार उन विनियमों का उल्लंघन करते हैं जो बाजार में हेरफेर करते हैं। चूंकि एफ एंड ओ खंड में अपीलार्थी के विवादित लेन-देन का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हमारा मानना है कि उन्होंने विनियमों का उल्लंघन नहीं किया। श्री कुमार देसाई ने कहा कि प्रत्यर्थी के वकील ने यह तर्क देने में भी समान रूप से जोर दिया कि अपीलार्थी ने न केवल समक्रमित लेनदेन को निष्पादित किया था, बल्कि उसी काउंटर पार्टी के साथ व्यापार के दौरान उन्हें उलट भी दिया था और इसलिए, व्यापार काल्पनिक और गैर-वास्तविक थे और यह कि न्यायनिर्णायक अधिकारी ने ऐसा करने और नियमों का उल्लंघन करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाने में न्यायसंगत था।

जो बाजार में हेरफेर करता है। एफ एंड ओ खंड में परिदृश्य, विशेष रूप से विकल्प अनुबंधों में, जिनके साथ हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं, नकदी से पूरी तरह से अलग है। खंड। एफ एंड ओ खंड में "लाभकारी स्वामित्व के परिवर्तन" की कोई अवधारणा नहीं है क्योंकि इस खंड में जो व्यापार किया जाता है वह अनुबंध हैं न कि अंतर्निहित स्टॉक या सूचकांक और यह केवल नकद निपटान के माध्यम से होता है कि व्यापार समाप्त होता है और नहीं [2018] 1 एस. सी. आर.

किसी भी संपत्ति का भौतिक वितरण शामिल है। इस मामले को देखते हुए, एफ एंड ओ में निफ्टी विकल्पों में समक्रमित और उलट व्यापार

खंड कभी भी बाजार में हेरफेर नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ वर्तमान संदर्भ में नकदी खंड में निफ्टी सूचकांक का मूल्य है। दोहराने के लिए, हम फिर से देख सकते हैं कि निफ्टी सूचकांक में हेरफेर करना लगभग असंभव है जिसमें नकदी खंड में पचास अच्छी तरह से विविध उच्च तरल स्टॉक शामिल हैं। चूँकि अपीलार्थी के लेन-देन का निपटान स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से नकद में किया जाता था

तंत्र, वे वास्तविक थे और ये एफ एंड ओ खंड में व्यापार का एक गलत या भ्रामक रूप नहीं बना सके। यह बोर्ड का अपना मामला है कि अपीलार्थी ने इन सभी में लाभ कमाया।

लेन-देन और काउंटर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा।

8. जब हम अपीलार्थी द्वारा निष्पादित लेन-देन की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह न तो व्युत्पन्न बाजार में किया गया था और न ही

न ही एक सट्टेबाज के रूप में और न ही एक मध्यस्थ के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि अपीलार्थी ने काउंटर पार्टी के साथ ऐसे लेन-देन क्यों किए जिसमें उसने लगातार लाभ कमाया और दूसरे पक्ष ने लगातार नुकसान दर्ज किया। ये सभी सौदे मार्च 2007 में वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंत में किए गए थे। यह स्पष्ट है और, इस तथ्य को अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा गंभीरता से विवादित नहीं किया गया था, कि विवादित व्यापार कर योजना के उद्देश्य से निष्पादित किए गए थे। दोनों पक्षों के बीच व्यवस्था यह थी कि प्रभावी कर योजना के लिए उनमें से प्रत्येक द्वारा लाभ और हानि की गणना की जाएगी

कर देयता के बोझ को कम करने के लिए और यही कारण है कि उन्होंने व्यापारों को समन्वित किया और उन्हें उलट दिया। वे खेल के किसी भी नियम का उल्लंघन किए बिना बाजार में खेले हैं। विरम इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. में यह न्यायाधिकरण। लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड,

अपील नं. 160 2004 के वर्ष ने 11 फरवरी, 2005 को इस विवाद से निपटने के लिए निर्णय लिया कि क्या कर योजना के लिए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार निष्पादित किया जा सकता है, निम्नलिखित टिप्पणियां कीं जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं:

" भले ही हम कर नियोजन के लिए किए गए लेनदेन को गैर-वास्तविक व्यापार मानते हैं, ऐसे व्यापार आयोजित किए जाने के लिए

आपत्तिजनक होने के परिणामस्वरूप बाजार को किसी न किसी तरह से प्रभावित करना चाहिए। हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई जांच में, जिसकी प्रति अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न की गई है या विवादित आदेश में कि कोई हेरफेर किया गया था।

भारत का क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

प्रतिभूतियों में व्यापार किसी भी कारण से हो सकता है।

और अधिकारी ऐसे लेन-देन की जांच करते हैं जो

कृत्रिम रूप से बाजार को प्रभावित करते हैं और निवेशकों को प्रेरित करते हैं

इस तरह के कृत्रिम लेनदेन के आधार पर खरीदें या बेचें। ”

नकद के संदर्भ में किए गए अवलोकन भले ही

खंड एफ एंड ओ खंड पर समान रूप से लागू होते हैं। हम अंदर हैं। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ समझौता और उन पर भरोसा करना।

हम मानते हैं कि हमारे सामने मामले में आक्षेपित लेनदेन करते हैं

केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाता कि उन्हें कर के लिए निष्पादित किया गया था

योजना बनाना क्योंकि वे बाजार को प्रभावित नहीं करते थे। विद्वान।

प्रतिवादी बोर्ड के वकील ने हमारा ध्यान आकर्षित किया

विनियम 3 (ए), (बी) और (सी) और विनियम 4 (1) और 4 (2) (ए) और (बी)

विनियमों का यह तर्क देने के लिए कि अपीलार्थी के व्यापार थे

इन प्रावधानों का उल्लंघन। हम उनसे सहमत नहीं हो सकते।

विनियमों का विनियम 3 किसी व्यक्ति को खरीदने से रोकता है, प्रतिभूतियों को धोखाधड़ी से बेचना या अन्यथा सौदा करना या

किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के संबंध में उपयोग या नियोजन

के उल्लंघन में किसी भी हेरफेर या भ्रामक उपकरण की सुरक्षा

अधिनियम, नियम या विनियम। इसी तरह, विनियमन 4 निषेध करता है। धोखाधड़ी या किसी भी अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने वाले व्यक्ति

प्रतिभूतियों में जिसमें गलत या भ्रामक का निर्माण शामिल है

प्रतिभूति बाजार में व्यापार की उपस्थिति या एक में लेनदेन

प्रतिभूति का उद्देश्य लाभकारी स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित करना नहीं है। इन प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है

हम तत्काल मामले में इस तरह के किसी भी सबूत का कोई निशान नहीं देखते हैं। हम. इसलिए, यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उनके विरुद्ध आरोप

विनियम 3 और 4 का उल्लंघन करने के लिए अपीलार्थी को भी विफल होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

27. एस. ए. टी. ने यह भी विचार रखा है कि परिपत्र दिनांकित है।

3.2005 एन. एस. ई. द्वारा जारी किया जाना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। सदस्यों ने

तरल पदार्थ पर आदेश/लेनदेन दर्ज करने से बचने की सलाह दी गई

रियायतें/अनुबंध जहाँ सदस्यों/ग्राहकों के कुछ समूह को निष्पादित किया जाता है

आर. एस. आई. जी. लेन-देन/असामान्य मूल्य अंतर पर खरीद और बिक्री दोनों ऐसे ए. एम. आई. एम. जिनका आर. एल. आई. जी. की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं थी। उक्त परिपत्र में सदस्यों को इससे दूर रहने की भी सलाह दी गई थी

ऐसे आदेशों को दर्ज करना जो प्रथम दृष्टया [2018] 1 एस. सी. आर. प्रतीत होते हैं।

गैर-वास्तविक और आगे इस तरह के आदेशों की जाँच के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणालियों को स्थापित करने की सलाह दी जाती है। एस. ए. टी. ने कहा कि केवल एस. ई. बी. आई.-नियामक ही इस तरह के निर्देश जारी कर सकता है और उसे जारी करना चाहिए। 28. तुंगरली के मामले में एस. ए. टी. ने राखी ट्रेडिंग में अपने फैसले का पूरी तरह से पालन किया। टीएलबी प्रतिभूति में भी, तथ्यों पर संक्षिप्त चर्चा करने के बाद,

एस. ए. टी. ने एस. ई. बी. आई. के आदेश को रद्द करने के लिए राखी ट्रेडिंग पर भरोसा किया।

29. जहां तक दलालों का संबंध है, राखी ट्रेडिंग में अपने निर्णय पर भरोसा करने के अलावा, एस. ए. टी. ने इंडियाबुल्स सिक्योरिटीज में कहा कि दलालों को दो अतिरिक्त कारणों से सफल होना चाहिए। उद्धृत करने के लिए:

" 7. हमारे समक्ष अपीलकर्ता जो एक स्टॉक ब्रोकर है, उसे भी दो अतिरिक्त कारणों से सफल होना चाहिए। कहा जाता है कि अपीलार्थी ने अपने ग्राहकों की ओर से 23 लेन-देन किए थे जिन्हें उन्हीं पक्षों के बीच उलट दिया गया था। यह मानते हुए कि ये व्यापार हेरफेर थे और ग्राहकों द्वारा एक पूर्व नियोजित योजना के साथ निष्पादित किए गए थे, तथ्य अभी भी बना हुआ है कि अपीलार्थी ने केवल एक दलाल के रूप में काम किया और अपने ग्राहकों के निर्देशों का पालन किया जो उसे करना चाहिए था। क्या अपीलार्थी को केवल इसलिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने एक दलाल के रूप में कार्य किया था? यह प्रश्न बार-बार इस न्यायाधिकरण के विचार के लिए सामने आया है और यह वही है जो कसात सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित किया गया था। लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 2006 की अपील संख्या 27 ने 20 जून, 2006 को निर्णय लिया जिसमें इस न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

धोखाधड़ी वाले लेनदेन। पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड को देखने के बाद हम संतुष्ट हैं कि यह लिंक गायब है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि एक दलाल के रूप में अपीलार्थी को पता था कि व्यापार काल्पनिक थे या कि खरीदार और विक्रेता एक ही व्यक्ति थे। व्यापार विनिमय तंत्र के माध्यम से होता था और ऑनलाइन होता था। केवल दलाल की कोड संख्या ज्ञात है और पक्षों के लिए विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि यह संभव नहीं है

स्क्रीन से यह पता लगाने के लिए कि ग्राहक कौन थे।

भारत का धर्म और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

यह वास्तव में स्टॉक एक्सचेंज की एक अनूठी विशेषता है, जहां अन्य चल संपत्तियों के विपरीत, प्रतिभूतियों को खरीदार या विक्रेता से कभी मिले बिना विनिमय तंत्र के माध्यम से अज्ञात लोगों के बीच खरीदा और बेचा जाता है। इसलिए दलाल के लिए यह जानना संभव नहीं था कि पक्ष कौन थे। केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने एक दलाल के रूप में कार्य किया है, हमें इस निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकता है कि उसे लेन-देन की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। इस तथ्य को साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ अन्य सामग्री होनी चाहिए। बोर्ड के. आई. एल. के किसी व्यक्ति से यह पता लगाने के लिए पूछताछ कर सकता था कि क्या अपीलार्थी को पता था

शेयर खरीदना या बेचना। बोर्ड ने आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अपीलार्थी को लेन-देन की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए, यह पाया है कि अपीलार्थी अपने ग्राहकों से यह पूछताछ करने में विफल रहा कि वे प्रतिभूतियों को क्यों बेचना चाहते थे। हमें नहीं लगता कि कोई भी दलाल अपने ग्राहकों से इस तरह का सवाल पूछेगा जब उसे व्यवसाय मिल रहा होगा और न ही ऐसा सवाल प्रासंगिक है, जब तक कि उसे कुछ गलत करने का संदेह न हो, जिसके लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए। रिकॉर्ड "।

किशोर आर. अजमेरा बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 2007 की पंचाट संख्या 13 ने 5 फरवरी, 2008 को इस न्यायाधिकरण का निर्णय लिया।

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" केवल इसलिए कि दो ग्राहकों ने मिलान किए गए लेन-देन किए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके दलाल अनिवार्य रूप से एक पक्ष थे

खेल योजना। एक्सचेंज के मूल्य आदेश मिलान तंत्र के माध्यम से एक स्क्रीन आधारित व्यापार पर, किसी भी दलाल (या उप-दलाल) के लिए यह जानना संभव नहीं है कि काउंटर पार्टी या उसका दलाल (या उप-दलाल) कौन है और जब व्यापार निष्पादित किया जाता है, तो उनके नाम या कोड स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की एक अनूठी विशेषता यह है कि, अन्य चल संपत्तियों के विपरीत, प्रतिभूतियों को अज्ञात लोगों के बीच खरीदा और बेचा जाता है जो कभी भी पूरा नहीं करते हैं और उनका व्यापार मांग और आपूर्ति की ताकतों द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाता है। यदि बोर्ड को किसी समान व्यापार के लिए दलाल (या उप-दलाल) को जिम्मेदार ठहराना है, तो उसे यह आरोप लगाना होगा और यह स्थापित करना होगा कि दलाल (या उप-दलाल) काउंटर पार्टी या उसके दलाल [2018] 1 एस. सी. आर. के बारे में जानता था।

उस समय जब व्यापार किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं है

इस मामले में आरोप "।

उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी ताकत से लागू होती हैं क्योंकि नकदी खंड के साथ-साथ एफ एंड ओ खंड में भी व्यापार प्रणाली समान है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, भले ही हम यह मान लें कि अपीलार्थी के ग्राहकों ने किसी शरारत के लिए एक ही काउंटर पार्टी के साथ रिवर्स ट्रेड किए थे, हम अपीलार्थी पर उसी के बारे में जानकारी का आरोप नहीं लगा सकते हैं जब व्यापार प्रणाली की गुमनामी एक दलाल को यह जानने की अनुमति नहीं देती है कि काउंटर पार्टी या काउंटर पार्टी ब्रोकर कौन है। स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली पूर्ण गुमनामी प्रदान करती है और व्यापार मूल्य आदेश मिलान के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। तंत्र। तत्काल मामले में, अपीलार्थी और उसके ग्राहकों के बीच दलाल ग्राहक संबंध के अलावा कोई संबंध नहीं है।

स्थापित, काउंटर पार्टियों या काउंटर पार्टी दलालों के साथ किसी भी संबंध की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा, अपीलार्थी ने 15 ग्राहकों की ओर से केवल 23 लेन-देन किए, जिसमें कुल रु। 35.44 लाख (सकारात्मक) जिन्हें प्रश्न में कहा गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने 1,69,71,078 को निष्पादित किया था

रुपये के कारोबार वाले 1,21,306 ग्राहकों के लिए व्यापार। 1,11,659 जाँच अवधि के दौरान हमारा विचार है कि भौतिकता और सार के संदर्भ में 15 ग्राहकों की ओर से किए गए व्यापार की इस छोटी संख्या से अपीलार्थी के लिए कोई चेतावनी पैदा होने की संभावना नहीं थी, जिसमें 4,70,000 से अधिक ग्राहकों का ग्राहक आधार था। इनमें

परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी को विवादित लेन-देन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। 8. दूसरा अतिरिक्त कारण जिसके लिए हम अपीलार्थी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, वह यह है कि 23 विवादित लेन-देनों में से 17 को ग्राहकों द्वारा सीधे इंटरनेट के माध्यम से निष्पादित किया गया था। एन. एस. ई. ने 24 अगस्त, 2000 के अपने परिपत्र द्वारा ऑर्डर रूटिंग प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट आधारित व्यापार पर विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जो ग्राहक के आदेशों को विनिमय व्यापार प्रणाली तक पहुँचाते हैं और इस सेवा के लिए सॉफ्टवेयर को बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुपालन में होना चाहिए। दलाल के रूप में अपीलार्थी का ऐसे व्यापारों पर बहुत कम प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, हालाँकि उसे उन व्यापारों में दलाल के रूप में दर्ज किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा निष्पादित लेन-देन की कुल मात्रा और उसके पास व्यापक ग्राहक आधार को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

कि अपीलार्थी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक व्यापार को निरंतर आधार पर अपनी जांच के दायरे में रखे, विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों द्वारा निष्पादित किए गए व्यापार और विवादित व्यापार इतने छोटे होने के कारण, अपीलार्थी के लिए रेड अलर्ट प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था। यह एक तथ्य है कि ग्राहकों के पास अपीलकर्ता के साथ पर्याप्त मार्जिन था और किसी भी स्तर पर कोई क्रेडिट चूक नहीं थी और सभी व्यापारों का निपटान विनिमय की समाशोधन प्रणाली के माध्यम से नकद में किया गया था। इस पृष्ठभूमि में हमें देय राशि की कमी का कोई सबूत नहीं मिलता है

आक्षेपित लेन-देनों को निष्पादित करते समय अपीलार्थी की ओर से परिश्रम जो उसे स्टॉक दलालों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी बना सकता है। शुल्क होना चाहिए,

इसलिए, असफल "।

30. एस. ए. टी. के आदेशों से व्यथित, एस. ई. बी. आई. धारा के तहत हमारे सामने है।

15 एस. ई. बी. आई अधिनियम का जेड.

31. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और अन्य वकीलों को व्यापक रूप से सुना है। एस. ए. टी. के आदेश पर एस. ई. बी. आई. ने हमला किया है।

इस आधार पर कि एस. ए. टी. ने एस. ई. बी. आई. के मामले को गलत समझा है। एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज कुशल और निष्पक्ष व्यापार की सुविधा के लिए बनाया गया एक मंच है। हालांकि, पक्षों के बीच लेन-देन गैर-वास्तविक और सुनियोजित थे जो पीएफयूटीपी के तहत निषिद्ध हैं। नियम। कारण दर्शाओ नोटिस यह स्पष्ट करता है कि लेन-देन बाजार तंत्र का दुरुपयोग था क्योंकि वे वास्तविक व्यापार नहीं थे। इन लेन-देनों की गैर-वास्तविकता इस तथ्य से स्पष्ट है कि अचानक, कुछ ही मिनटों के भीतर, किसी लेन-देन को उलटने का कोई व्यावसायिक आधार नहीं था, जब अंतर्निहित मूल्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था।

32. एस. ए. टी. के अनुसार, महत्वपूर्ण मूल्य अंतर के साथ पक्षों द्वारा किए गए व्यापारों के समन्वय और उलटफेर, कुछ सेकंड में और बहुमत, किसी भी मामले में, उसी दिन, बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसने किसी भी तरह से या किसी भी तरह से निफ्टी सूचकांक को प्रभावित नहीं किया है।

निवेशकों को प्रेरित किया। एस. ए. टी. ने माना है कि इस तरह के व्यापार केवल तभी अवैध होते हैं जब वे किसी भी तरह से बाजार में हेरफेर करते हैं और निवेशकों को प्रेरित करते हैं। इसने यह भी विचार रखा है कि किसी भी संपत्ति का भौतिक वितरण नहीं किया जा रहा है,

लाभकारी स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है और एफ एंड ओ खंड में जो व्यापार किया जाता है वह केवल अनुबंध हैं और इसलिए, एफ एंड ओ खंड में निफ्टी विकल्पों में इस तरह के समकालिक और विपरीत व्यापार कभी नहीं हो सकते हैं। बाजार में हेरफेर करें "। इसने यह भी माना है कि लेनदेन का निपटान [2018] 1 एस. सी. आर. में किया जा रहा है।

स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से नकदी वास्तविक होती है और इसलिए एफ एंड ओ खंड में व्यापार की गलत या भ्रामक उपस्थिति पैदा नहीं कर सकती है। इसके अलावा, किसी भी व्यापार के आपत्तिजनक होने का परिणाम होना चाहिए किसी न किसी तरह से बाजार को प्रभावित करना। एस. ए. टी. ने माना कि ये व्यापार

कर नियोजन के उद्देश्य से थे जो किसी भी विनियमन का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम कर नियोजन के मुद्दे पर जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि कारण दर्शाएं नोटिस में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। 33. हमें एस. ए. टी. द्वारा लिए गए रुख की सराहना करना मुश्किल लगता है जिसका समर्थन एस. ए. टी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा किया जाता है।

प्रतिभूतियों में धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार अभ्यास "। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य में। वी. श्री कनैयालाल बलदेवभाई पटेल और Ors.[3], इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आचरण नैतिक मानकों और सद्भावना को कम करता है तो एक व्यापार अभ्यास अनुचित है। व्यावसायिक लेन-देन में लगे पक्षों के बीच लेनदेन। उद्धृत करने के लिए:

" 31. यद्यपि अनुचित व्यापार व्यवहार को विनियमन के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, भारत में विभिन्न अन्य कानूनों ने विभिन्न संदर्भों में अनुचित व्यापार व्यवहार की अवधारणा को परिभाषित किया है। एक स्पष्ट कटौती

'अनुचित व्यापार व्यवहार' की सामान्यीकृत परिभाषा को उपरोक्त परिभाषाओं से निकालना संभव नहीं हो सकता है। व्यापक रूप से व्यापार अभ्यास अनुचित है यदि आचरण व्यावसायिक लेनदेन में लगे पक्षों के बीच नैतिक मानकों और सद्भावना लेनदेन को कम करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुचित व्यापार प्रथाएं एक ही परिभाषा के अधीन नहीं हैं; बल्कि इसके लिए मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय की आवश्यकता होती है। क्या कोई कार्य या व्यवहार अनुचित है, यह सभी तथ्यों और परिस्थितियों से निर्धारित किया जाना है।

लेन-देन। इस विनियमन के संदर्भ में एक व्यापार अभ्यास हो सकता है

32017 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1148 भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

अनुचित होना, यदि आचरण में शामिल अच्छे विश्वास के लेन-देन को कमजोर करता है

लेन-देन में। इसके अलावा 'अन्याय' की अवधारणा प्रकट होती है।

'धोखे' की अवधारणा से व्यापक होना और इसमें शामिल होना या

' धोखाधड़ी '।

XXX

XXX

X

XX

60. उपरोक्त के साथ, तथ्य यह है कि उक्त आचरण अनुचित व्यापार का कार्य भी माना जा सकता है

अभ्यास, जो हालांकि एक परिभाषित अभिव्यक्ति नहीं है, होना चाहिए

निष्पक्षता से परे किसी भी कार्य को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से समझा गया

बिक्री और खरीद में व्यवसाय सहित व्यवसाय का संचालन

प्रतिभूतियाँ। हालाँकि उक्त प्रश्न, जैसा कि मेरे विद्वान द्वारा सुझाया गया है

भाई, रमण, जे. को अधिक समय में निर्णय के लिए खुला रखा जा रहा है।

उपयुक्त अवसर के रूप में वर्तमान में आवश्यक संकल्प हो सकता है

उक्त प्रश्न पर निर्णय की परवाह किए बिना किया गया। 35. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन

निष्पक्ष खेल और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, किसी को प्रतिभूतियों में अनुचित व्यापार प्रथाओं के अर्थ पर अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। प्रासंगिक और सरल शब्दों में, इसका अर्थ एक ऐसी प्रथा है जो शेयर बाजार में व्यापार के निष्पक्ष और पारदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तत्काल मामले में, एक पक्ष ने लाभ दर्ज किया और दूसरे पक्ष ने नुकसान दर्ज किया। कोई भी जानबूझकर नुकसान के लिए व्यापार नहीं करता है। नुकसान के लिए एक जानबूझकर व्यापार, प्रतिभूतियों में एक वास्तविक सौदा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के मंच का उपयोग गैर-वास्तविक व्यापार के लिए किया गया है। व्यापार हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। लेकिन अगर एक पक्ष लगातार नुकसान करता है और वह भी पूर्व नियोजित और तेजी से विपरीत व्यापार में, तो यह वास्तविक नहीं है; यह एक अनुचित व्यापार अभ्यास है। प्रतिभूति बाजार, जैसा कि 1956 के अधिनियम की प्रस्तावना में दिया गया है, "प्रतिभूतियों में अवांछनीय लेनदेन" की अनुमति नहीं देता है।

अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतियों में अवांछनीय लेनदेन को रोकना है उसमें लेन-देन के व्यवसाय को विनियमित करना। अवांछनीय लेन-देन में निश्चित रूप से व्यापार में अनुचित व्यवहार शामिल होंगे। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 लागू किया गया था। निवेशकों के हितों के संरक्षण में आवश्यक रूप से बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम शामिल होनी चाहिए। सुनियोजित व्यापार बाजार तंत्र का दुरुपयोग है। यह बाजार से खेल रहा है और यह बाजार की अखंडता को प्रभावित करता है।

36. आम तौर पर, व्यापार के बीच हुआ होगा

अनाम पक्षों और कीमत द्वारा निर्धारित किया गया होगा मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियाँ। तत्काल मामले में, पक्ष तुल्यकालिक व्यापार पर नहीं रुके। तथ्य इससे परे हैं। इस मामले में व्यापार उलटफेर से संकेत मिलता है कि पक्षों का [2018] 1 एस. सी. आर. को स्थानांतरित करने का इरादा नहीं था।

लाभकारी स्वामित्व और इन सुनियोजित लेन-देनों के माध्यम से, जिसका इरादा नियमित व्यापार नहीं था, अन्य निवेशकों को इन व्यापारों में भाग लेने से बाहर रखा गया है। यह तथ्य कि जब व्यापार समक्रमित नहीं हो रहा था, व्यापारियों ने इसे अनाकर्षक कीमतों पर रखा, यह भी एक मजबूत संकेत है कि व्यापारी बाजार के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे।

37. हमें एस. ए. टी. के इस रुख की सराहना करना भी मुश्किल लगता है कि

लाभकारी स्वामित्व के परिवर्तन का तर्क में उत्पन्न नहीं होता है

व्युत्पन्न खंड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नकद खंड में किसी शेयर में व्यापार के मामले में, परिसंपत्ति का कोई भौतिक वितरण नहीं होता है। हालाँकि, व्युत्पन्न खंड में भी अनुबंध में अधिकारों में परिवर्तन होता है। तत्काल मामले में, रिवर्स ट्रेडों के माध्यम से, अनुबंध में अधिकारों का कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ था। एस. ए. टी. ने रिवर्स ट्रेडों में लाभकारी स्वामित्व में परिवर्तन की अपनी समझ में गलती की है। यहाँ तक कि व्युत्पन्न में भी, विपरीत व्यापार होने पर अधिकार का स्वामित्व पहले पक्ष को बहाल कर दिया जाता है। इस संदर्भ में केतन पारेख (ऊपर) में चर्चा का महत्व हैः

" 20 ..... जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि 'समन्वय' या एक बातचीत का सौदा

इप्सो फैक्टो अवैध नहीं है। हालांकि, एक समक्रमित लेनदेन होगा,

यदि इसे एक के साथ निष्पादित किया जाता है तो नियमों का अवैध या उल्लंघनकारी होना

बाजार में हेरफेर करने के लिए या यदि यह परिपत्र व्यापार में परिणाम देता है या

बाजार तंत्र चाहे बातचीत की गई हो या नहीं, अवैध होगा। क्या कोई लेन-देन इस इरादे से किया गया है कि

बाजार में हेरफेर करना या उसके तंत्र को हराना इस पर निर्भर करेगा

पक्षकारों का इरादा जिससे अनुमान लगाया जा सकता है

परिस्थितियों में उपस्थित होना क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य

शायद उपलब्ध नहीं है। निष्पादित लेन-देन की प्रकृति, बारंबारता जिसके साथ ऐसे लेन-देन किए जाते हैं, मूल्य

लेन-देन के बारे में, चाहे उनमें परिपत्र व्यापार शामिल हो और

क्या लाभकारी स्वामित्व में वास्तविक परिवर्तन हुआ है,

तब बाजार में प्रचलित स्थितियाँ कुछ कारक हैं

जो पार्टियों के इरादे को दर्शाते हैं। कारकों की यह सूची,

चीजों की प्रकृति में, संपूर्ण नहीं हो सकता है। कोई भी एक कारक

निर्णायक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और यह इसके संचयी प्रभाव से है

जिनका एक निष्कर्ष निकालना होगा "।

(जोर दिया गया)

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

हमारे सामने मौजूद तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन व्यापारियों का लाभकारी स्वामित्व हस्तांतरित करने का इरादा नहीं था और इसलिए ये व्यापार वास्तविक नहीं हैं।

38. बाजार की ताकतों को उनमें काम करने की अनुमति देने के बजाय

लेन-देन जो बाजार के अन्य खिलाड़ियों को पूर्ण भागीदारी से वंचित करते थे। क्रमशः लाभ और हानि को बुक करने के लिए बार-बार उलटने और पूर्व निर्धारित व्यवस्था ने यह स्पष्ट कर दिया कि पक्ष सामान्य अर्थों और सामान्य पाठ्यक्रम में व्यापार नहीं कर रहे थे। नतीजतन, तत्काल मामले में बाजार की ताकतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

39. विनियम 2 (1) (सी) धोखाधड़ी को परिभाषित करता है। विनियमन 2 (1) (सी) (2) के तहत एक ऐसे तथ्य के बारे में एक सुझाव जो सच नहीं है जबकि वह इस पर विश्वास नहीं करता है -

और विनियम 2 (1) (सी) (8) के तहत, इसे सच मानने के लिए किसी भी उचित आधार के बिना एक गलत बयान भी धोखाधड़ी है। ए में प्रतिभूतियों में समक्रमित और विपरीत लेनदेन, पूर्व-व्यवस्थित पक्षों के बीच नुकसान या लाभ को बुक करने के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के साथ, ये सभी दोष आकर्षित होते हैं।

40. विनियम 3 (ए) धोखाधड़ी के तरीके से प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। विनियमन 4 (2) के तहत प्रतिभूतियों में लेनदेन को धोखाधड़ी माना जाएगा यदि व्यापारी किसी ऐसे कार्य में लिप्त होता है जो प्रतिभूतियों में व्यापार का गलत या भ्रामक रूप पैदा करता है।

प्रतिभूति बाजार। यह एक माना जाने वाला प्रावधान है। इस तरह के व्यापार में प्रतिभूति की कीमत में हेरफेर करने के लिए एक अधिनियम भी शामिल है, इस अर्थ में कि कीमत को कृत्रिम रूप से और स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित किया गया है। कीमत अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य को बिल्कुल नहीं दर्शाती है। यह प्रतिभूतियों में एक लेनदेन भी है जो इसे निष्पादित करने के किसी भी इरादे के बिना किया गया है और ऐसी प्रतिभूतियों के स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने के किसी भी इरादे के बिना, अनुबंध में अधिकारों के सीमित अर्थों में स्वामित्व को समझा जा रहा है।

41. एस. ए. टी. के अनुसार, केवल तभी जब खाते पर बाजार का प्रभाव पड़े

नकली लेनदेन, क्या पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों का उल्लंघन हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव से सहमत होना बेहद मुश्किल लगता है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, एस. ए. टी. बाजार की अखंडता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों से चूक गया है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। शेयर बाजार एक [2018] 1 एस. सी. आर. नहीं है।

किसी भी धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार अभ्यास के लिए मंच। यह क्षेत्र सभी निवेशकों के लिए खुला है। तुल्यकालन और तेजी से उलट व्यापार द्वारा, जैसा कि तत्काल मामले में व्यापारियों द्वारा किया गया है, मूल्य की खोज

42. हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के फैसले से अपने निष्कर्ष में मजबूत हैं। किशोर आर. अजमेर 1, हालांकि यह दलालों से संबंधित मामला है, जिसमें इसे पैराग्राफ 25 में रखा गया हैः

" 25. एस. ई. बी. आई. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, जिसमें समानान्तर के अनुरूप पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

अर्थव्यवस्था में विकास। निवेशकों का भरोसा

पूँजी/प्रतिभूति बाजार लागू नियामक तंत्र की प्रभावशीलता का प्रतिबिंब है। इस तरह के सभी उपायों का उद्देश्य हेरफेर व्यापार को पूर्व-खाली करना और सभी प्रकार के लेनदेन की जांच करना है।

अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए। इसलिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों को उपरोक्त प्रकाश में समझा और व्याख्या की गई।

इस मामले में यह भी माना गया था कि समन्वित लेनदेन में कहीं और मन की बैठक के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, परीक्षण किया जाना चाहिए।

जहां तक अधिनियम या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न नागरिक दायित्व के निर्णय का संबंध है, संभावनाओं की प्रमुखता में से एक होगी। उद्धृत करने के लिएः

" 31. निष्कर्ष विभिन्न परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए जैसे कि प्रभावित व्यापार की मात्रा; विशेष स्क्रिप में व्यापार में दृढ़ता की अवधि; खरीद और बिक्री आदेशों का विवरण, अर्थात्, उनकी मात्रा; बीच के समय की निकटता।

दोनों और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारक "।

4 (2016) 6 एस. सी. सी. 368 भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [कुरियन, जे।]

यहाँ ऊपर। 43. इस प्रकार व्यापारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार में लगे हुए हैं, इसलिए वे उत्तरदायी हैं

पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 3 (ए), 4 (1) और 4 (2) (ए) के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई। अपील सं। 1969/2011 , 3175/2011 और 3180/2011

इसलिए अनुमति दी जाती है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश हैं - अलग रखा जाता है और एस. ई. बी. आई. को ऊपर बताए गए हद तक बहाल किया जाता है।

44. जहां तक दलालों का संबंध है, हमारा विचार है कि दलाल विनियमों के विनियम 7 ए के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए उनकी संलिप्तता पर शायद ही कोई सबूत है और

पीएफयूटीपी विनियम। केवल इसलिए कि एक दलाल ने लेन-देन में सुविधा प्रदान की है, यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियमन का उल्लंघन हुआ है। एस. ई. बी. आई. ने दलालों की ओर से लापरवाही या मिलीभगत का सुझाव देने के लिए कोई सामग्री प्रदान नहीं की है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा किशोर आर. अजमेरा (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। हम विशेष रूप से एंजेल ट्रेडिंग के मामले का उल्लेख करना चाहेंगे जिसमें दलाल ने बार-बार राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को पत्र लिखकर उन्हें व्यापार के बारे में सूचित किया था। विकल्प खंड जिन्हें अवास्तविक कीमतों पर निष्पादित किया गया था और उनसे विकल्प खंड में तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया था ताकि इन व्यापारों को प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। दलालों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए SEBI द्वारा प्रदान की गई किसी भी सामग्री के अभाव में, विशेष रूप से धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं को सहायता और बढ़ावा देने के संबंध में, हमारी राय है कि दलालों के खिलाफ SEBI के आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। तदनुसार, दलालों के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

45. समापन से पहले, हम दोहराना चाहेंगे कि

प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले एक अधिक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता के बारे में किशोर आर. अजमेरा (ऊपर) और कनैयालाल पटेल (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ। जैसे-जैसे बाजार बढ़ता है, हेरफेर के सरल साधनों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे परिदृश्य में यह आवश्यक है कि एस. ई. बी. आई. बदलते समय और विकास के साथ तालमेल बनाए रखे। शेयर बाजार में सुशासन के लिए सिद्धांत जो स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करते हैं।

46. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. भानुमति, जे. 1. मैं फैसले से गुज़रा हूँ

उनके लॉर्डशिप जस्टिस कुरियन जोसेफ द्वारा प्रस्तावित। मैं सहमत हूँ। उनके प्रभुता द्वारा आए निष्कर्ष के साथ। हालाँकि, इसमें शामिल मुद्दों के महत्व को देखते हुए, मैं अपनी सहमति के लिए अपने अतिरिक्त तर्क भी देना पसंद करता हूँ।

मामला। 3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 2007 में, एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. के व्युत्पन्न खंड में होने वाले लेनदेन की प्रकृति की जांच की थी।

पूँजी बाजार। जनवरी से मार्च, 2007 की अवधि के लिए एन. एस. ई. पर भविष्य और विकल्प खंड (जिसे बाद में "एफ एंड ओ खंड" के रूप में संदर्भित किया गया है) के व्यापार आंकड़ों की जांच करने पर, यह देखा गया कि एन. एस. ई. में दलाल दिन के भीतर लगभग समान मात्रा में अनुबंधों की खरीद और बिक्री कर रहे थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि इस तरह के खरीद/बिक्री आदेशों को समक्रमित किया गया था [समक्रमित व्यापार वह है जहां एक ही मात्रा के लिए एक साथ खरीद और बिक्री आदेश दिए जाते हैं]। अधिकांश मामलों में, समान मात्रा और कुछ मामलों में, मूल व्यापार की पर्याप्त रूप से समान मात्रा को दिन के दौरान उस मूल्य पर बंद कर दिया गया था जो उस मूल्य से काफी ऊपर या नीचे था जिस पर पहला/मूल लेनदेन अंतर्निहित प्रतिभूति के व्यापार मूल्य में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना निष्पादित किया गया था। एफ एंड ओ अनुबंधों के व्यापार में प्रारंभिक जांच के बाद, एस. ई. बी. आई. ने पहचान की कि प्रतिवादी सहित कुछ संस्थाओं-व्युत्पन्न खंड में काम करने वाली राखी ट्रेडिंग ने काल्पनिक और गैर-वास्तविक व्यापारों को निष्पादित किया था। अपनी शक्तियों का प्रयोग करें

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 बी और 11 डी के साथ पठित धारा 19 के तहत (संक्षेप में 'एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992') बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य ने एक एकतरफा आदेश पारित कर निर्देश दिया था कि

प्रत्यर्थी और अन्य संस्थाओं को अगले आदेश तक उल्लंघन में लिप्त होने से रोकने और रोकने के लिए क्योंकि वे गैर-वास्तविक लेनदेन में लिप्त पाए गए थे।

4. इस बीच, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नियम, 1995 के नियम 4 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में, बोर्ड ने एक शो जारी किया

प्रत्यर्थी को 05.10.2007 पर यह आरोप लगाते हुए नोटिस का कारण बनें कि प्रत्यर्थी भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

एफ एंड ओ खंड में इसके द्वारा निष्पादित चौदह विकल्प अनुबंध 21 मार्च से 30 मार्च, 2007 तक रुपये के कुल क्लोज आउट अंतर (सीओडी) के साथ। 1,15,79, 312.15 / - अर्थात रु. का शुद्ध लाभ। 115.79 इस प्रकार से. ई. बी. आई. के विनियम 3 (ए), 4 (1) और 4 (2) (ए) (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियमों का उल्लंघन करते हुए,

2003 (संक्षेप में "पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम")। कारण दर्शाओ नोटिस पर, प्रतिवादी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तर्क दिया कि विवादित लेन-देन वास्तविक लेन-देन थे, विकल्प खंड में व्यापार के लिए एक्सचेंज के नियमों और विनियमों के अनुपालन में अनामता में स्क्रीन पर कारोबार किया गया और उक्त लेनदेन ने किसी भी तरह से मूल्य खोज को कम नहीं किया या

बाजार को प्रभावित किया।

5. प्रत्यर्थी की प्रारंभिक जांच और प्रस्तुतियों में निष्कर्षों पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी ने पाया कि दलालों के एक ही समूह के माध्यम से एक ही पक्ष के बीच कुछ सेकंड के अंतराल के भीतर अनुबंधों की खरीद और बिक्री जैसे अधिकांश व्यापार मेल खाते हैं और पाया कि यह अवास्तविक है कि आदेश मात्रा और मूल्य दोनों के साथ और एक ही पक्ष के साथ बार-बार मेल खाते हैं। न्यायनिर्णायक अधिकारी ने आगे कहा कि हेरफेर करने वाले उपकरण का उपयोग व्यापार के समन्वय के लिए किया गया था और व्यापार धोखाधड़ी/काल्पनिक प्रकृति के थे। केतन पारेख बनाम में एसएटी के फैसले का उल्लेख करने के बाद। एस. ई. बी. आई. (2004 का अपील सं. 2) और अन्य निर्णयों में, न्यायनिर्णायक अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी ने पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 का उल्लंघन करते हुए समक्रमित/प्रतिवर्ती लेनदेन को निष्पादित किया है और एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15 एच. ए. के प्रावधानों के संदर्भ में प्रत्यर्थी पर रु. 1,08,00,000/- का जुर्माना लगाया है। 6. प्रत्यर्थी की अपील पर, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश को दरकिनार कर दिया और कहा कि निफ्टी शेयरों का एक बड़ा विविध सूचकांक है जो प्रभावित होने में सक्षम नहीं है। एस. ए. टी. ने आगे कहा कि प्रतिवादी द्वारा निष्पादित निफ्टी विकल्पों में तेरह व्यापारों का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन लेनदेनों ने किसी भी तरह से निफ्टी सूचकांक को प्रभावित नहीं किया। एसएटी

यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवादित लेन-देन केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कर योजना के लिए निष्पादित किया गया था क्योंकि वे बाजार को प्रभावित नहीं करते थे। यह मानते हुए कि एस. ई. बी. आई., एस. ए. टी. [2018] 1 एस. सी. आर. के किसी भी विनियमन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश को दरकिनार कर देना। दुखी होकर, एस. ई. बी. आई.

एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 15 जेड के तहत इस वैधानिक अपील को प्राथमिकता दी गई।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम और कानूनों के प्रावधान 7. धारा 12-ए, जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 के अध्याय 5-ए में निहित है, "जोड़-तोड़ करने वाले और भ्रामक उपकरणों का निषेध, अंदरूनी सूत्र।

प्रतिभूतियों का पर्याप्त अधिग्रहण या नियंत्रण "और डी. एस. इस प्रकार हैः

12 ए. हेरफेर और भ्रामक उपकरणों का निषेध,

आंतरिक व्यापार और प्रतिभूतियों का पर्याप्त अधिग्रहण या नियंत्रण करें। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं करेगा

(क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित किसी भी प्रतिभूति के निर्गम, खरीद या बिक्री के संबंध में, प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी हेरफेर या भ्रामक उपकरण या साजिश का उपयोग या नियोजित करना।

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का;

(ख) धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, योजना या कलाकृति का उपयोग करें।

किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के निर्गम या लेनदेन के संबंध में

विनिमय;

व्यवसाय के किसी भी कार्य, अभ्यास, पाठ्यक्रम में संलग्न हों जो

((ग)

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में लेनदेन करने वाले मुद्दे के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी या छल के रूप में काम करता है या काम करेगा।

(घ) अंदरूनी व्यापार में संलग्न होना;

(ई) प्रतिभूतियों में सौदा करते समय जब सामग्री के कब्जे में या गैर

सार्वजनिक जानकारी या ऐसी सामग्री या गैर-सार्वजनिक जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को इस तरीके से संप्रेषित करें जो इस अधिनियम या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके तहत बनाए गए नियम या विनियम; भारत का सुधार और विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

(च)

इससे अधिक किसी भी कंपनी या प्रतिभूतियों का नियंत्रण प्राप्त करना

एक कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत जिसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं या बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के तहत।

8. एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 30 निम्नलिखित हैः

30. विनियम बनाने की शक्ति। - (1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है।

9. अधिनियम की धारा 15 एच. ए. जो धोखाधड़ी वाले निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए दंड से संबंधित है, धारा 15 एच. बी. जो ऐसे प्रावधानों के लिए दंड से संबंधित है जहां कोई अलग दंड प्रदान नहीं किया गया है और धारा एच. आई. सी. निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को निर्धारित करती है।

जुर्माने की राशि इस प्रकार हैः

15 हा. धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दंड।

यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त है प्रतिभूतियों के संबंध में वह पच्चीस करोड़ रुपये के जुर्माने या लाभ की राशि का तीन गुना के लिए उत्तरदायी होगा।

इस तरह की प्रथाएं, जो भी अधिक हो। 15 एच. बी. उल्लंघन के लिए जुर्माना जहां कोई अलग जुर्माना नहीं है

प्रदान किया गया है। - जो कोई भी इस अधिनियम, बनाए गए नियमों या विनियमों या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, जिसके लिए कोई अलग जुर्माना नहीं दिया गया है, वह एक जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक तक हो सकता है।

एक करोड़ रुपये। 15 जे. न्यायनिर्णायक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक

अधिकारी। धारा 15-I के तहत जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित बातों का उचित ध्यान रखना होगाः कारक, अर्थात्

(क) असमान लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां भी मात्रात्मक हो, चूक के परिणामस्वरूप की गई;

(ख) किसी निवेशक या समूह को हुए नुकसान की राशि

चूक के परिणामस्वरूप निवेशक;

(ग) पूर्वनिर्धारित की दोहराव वाली प्रकृति।

10. धारा 12 ए को पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003, एस. ई. बी. आई. (शेयर दलाल और उप-दलाल) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

टी. वी. सोमनाथन और वी. अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किए गए इश्यू, डिबेंचर और लिस्टिंग, लेक्सिस नेक्सिस का चौथा संस्करण 2017 और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा व्युत्पन्न अर्थशास्त्र। पुनरावृत्ति से बचने के लिए, मैं प्रासंगिक पूंजी बाजार शर्तों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करने से बचता हूं। 11. री-कंटेंशनः विवादित लेन-देन प्रणाली पर कारोबार किए जाने वाले सामान्य लेन-देन थे न कि काल्पनिक लेन-देनः प्रत्यर्थी का तर्क यह है कि विवादित व्यापार पूरी तरह से गुमनामी बनाए रखते हुए प्रणाली पर किए गए सामान्य लेनदेन थे और व्यापार अवैध नहीं थे और प्रत्यर्थी ने एस. ई. बी. आई. विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। उत्तरदाता-राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड ने तर्क दिया कि व्यापार स्वचालित स्क्रीन आधारित व्यापार पर किया गया था और उनके लिए यह जानना संभव नहीं था कि काउंटर पार्टी कौन था और इसलिए, व्यापार का समन्वय केवल एक संयोग था। इसके विपरीत, एस. ई. बी. आई. ने कहा कि प्रतिवादी-राखी ट्रेडिंग और

काउंटर पार्टी-कासम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड के पास पूर्व समझ थी और उसने व्यापार प्रणाली के नियंत्रण और संतुलन को निष्पादित करके विफल कर दिया है।

गलत उद्देश्य के साथ गैर-वास्तविक लेनदेन।

12. पक्षों द्वारा उठाए गए विवादास्पद मुद्दों की सराहना करने के लिए, मैं विवादित उलट व्यापार लेनदेन का उल्लेख करता हूंः

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

बाजार

सकल

40.82

49.74

38.59

49.02

31.5

50

अंतर

बंद करें

1600000

1437

500

1041300

बाहर।

564000

कीमत 2

में से

अलग-अलग करें।

व्यापार का

125

160

45

89

10

58 50

पैर

मात्रा

कुल कारोबार

10000 10000

11500

11500 11700 11700

80000 80000 10000

8000 2000

4750 4750

सुरक्षाएँ

व्यापार

पकड़ना

पकड़ना

व्यापार

पकड़ना

व्यापार

व्यापार

पकड़ना

व्यापार

व्यापार

व्यापार

पकड़ना

ग्राहक

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PV

T.LTD

PVT.LTD

राखी

राखी

राखी

राखी

राखी

राखी

राखी कासम

कासम

कासम

कासम

कासम

स्पार्क

लिमिटेड लिमिटेड

लिमिटेड

लिमिटेड

लिमिटेड

लिमिटेड

नाम

लिमिटेड

पीएलटीडी

बेचना।

व्यापार

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

सुरक्षा

ग्राहक

पकड़ना

व्यापार

व्यापार

व्यापार

पकड़ना

व्यापार

पकड़ना

व्यापार

व्यापार

पकड़ना

पकड़ना

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

पीएलटीडी राखी

कासम राखी

राखी

राखी

राखी

राखी

लिमिटेड कासम

लि

मिटेड कासम

कासम

कासम

लिमिटेड कासम

लिमिटेड स्पार्क

लिमिटेड

नाम

लिमिटेड

खरीदें।

पकड़ना

पीवीटी

पीवीटी पीवीटी

पीवीटी

पीवी

टी

ईएस

PVT.LTD PVT

3, 650.00

3, 650.00 3, 650.00

3, 930.00

4, 190.00

285.

00

3, 960.00

व्यापार

12.25

3, 730.00

कीमत

2.25

115.00 173.00

165.00

101.00

410.00

270.00 110.00 112.00

67.00

190.00

4,

190.00

हड़ताल

कीमत

120 120

#

3, 930.00

3, 960.00

3, 730.00

#

बीच में

खरीदें।

समय

क्रम 0: 00: 01 15: 06: 42 0: 00: 00

अलग-अलग

बेचना। &

0: 00: 03

0: 00: 01

0: 00: 01 0: 00: 01 0: 00:

02 0: 00: 02 0: 00: 01

0: 00: 00

0: 00: 01

0: 00: 06

0: 00: 02

14: 50: 27

आदेश दें

समय

बेचना।

12: 52: 18

11: 37: 37 12: 04: 05

15: 23: 15

11:
39: 26

15: 02: 36

15: 06: 45

14: 33: 18 14: 53: 18 12: 04: 50

13: 07: 19 14:
02: 23

14: 50: 28

आदेश दें

समय

खरीदें।

12: 52: 19 13: 07: 20
14: 02: 25

14: 33: 19

11: 37: 43

15: 23: 15

12: 04: 51

11:
39: 28 15: 02: 37

12: 04: 05

14: 53: 16

व्यापार

समय

- 12: 04: 05 07 - 14: 33: 19 07

07

07

- 14: 50: 28 07

- 15: 06: 45 07

- 11: 37: 43 07

- 14: 53: 18 07

- 15: 02: 37 07

- 11:
39: 28 07

07
- 13: 07: 20 07

- 14: 02: 25
07

- 15: 23: 15

- 12: 04: 51

- 12: 52: 19

तिथि

मार.

मार.

मार मार

मार मार

मार.

मार.

मार.

मार मार मार मार

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

और

21

21

22

22

21

21

21

21

21

बाजार

सकल

41.07

31.6

50

30

%

बाहर।

अंतर

355762.5

1542800

892500

345100

बंद करें

2 में

द.

में से

अलग-अलग। व्यापार का

39.
75

133

85

29

72

72

52

54

मूल्य पैर

मात्रा

10500 व्यापार 11600

कुल कारोबार

व्यापार होल्डिंग हॉलिंग 1100 हॉलिंग 11600

ट्रेडिन्ग होल्डिंग

10700 10700

10500 11600 10500 10500

11900

89

50

चेन्ट

व्यापार

व्यापार

व्यापार

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

P

VT.LTD

राखी

राखी

राखी

राखी

राखी

राखी

राखी

राखी

लिमिटेड कासम

लिमिटेड कासम

लिमिटेड कासम

लिमिटेड कासम

कासम

लिमिटेड कासम

कासम

लिमिटेड

कासम

लिमिटेड

लिमिटेड

नाम

बेचना।

पीवीटी

होल्डिंग पी. वी. टी.

पीवीटी

पक

ड़ना

पीवीटी

पीवीटी

पकड़ना

पकड़ना

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

चेन्ट

व्यापार

पकड़ना

पकड़ना

पकड़ना

व्यापार

व्यापार

व्यापार

पकड़ना

पकड़ना

पकड़ना

पकड़ना

पकड़ना

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.L
TD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

PVT.LTD

राखी लिमिटेड कासम

राखी

राखी

राखी

राखी
लिमिटेड कासम

लिमिटेड राखी

लिमिटेड कासम

लिमिटेड कासम

राखी

राखी

कासम

लिमिटेड कासम

लिमिटेड कासम

लिमिटेड कासम

नाम

व्यापार

व्या
पार

व्यापार

व्यापार

खरीदें।

पीवीटी

पी
वीटी

PVT.LTD PVT

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

पीवीटी

4, 050.00

3, 960.00 3, 960.00

4, 050.00

4, 050.00

302.00

3, 810.00

3, 810.00

299.00

व्यापार

3, 930.00

3, 880.00

3, 930.00

कीमत

86.00 63.00

115.00

155.00 227.00

230.00

57.00

120.00 270.00

32.00

190.00

200.00 285.00

80.

25

4,

150.00

3, 550.00

हड़ताल

कीमत

4, 050.00

3, 880.00

3, 550.00

4, 150.00

बीच में

अलग-अलग

खरीदें।

क्रम 0: 00: 00 बेचना।

&

0: 00: 00

0: 00: 00

0: 00: 00 0: 00: 01 0: 00: 03 0: 00: 01 0: 00: 01

0: 00: 00

0: 00: 00 0: 00: 03

0: 00: 00

समय

0: 00: 01

0: 00: 01

0: 00: 03

0: 00: 02

आदेश दें

समय

बेचना।

10: 15: 2111: 37: 0710: 22: 3711: 14: 04 13: 18: 2114: 16: 35 13: 19: 0514: 17: 4912: 17: 02 13: 15: 4112: 17: 4413: 16: 1911: 36: 4011: 48: 44 14: 30: 0414: 43: 02

12: 16: 59

आदेश दें

समय

खरीदें।

10: 15: 21 11: 37: 08

11: 14: 05

13: 15: 42

11: 36: 37 11: 48: 44 14: 30: 04 14: 43: 00

10: 22: 37

13: 18: 18 14: 16: 36

14: 17: 49

13: 16: 19

12: 17: 44

13: 19: 06

व्यापार

तिथि समय 07

07

-

11: 36: 40 07 - 11: 48: 44

07 - 12: 17: 02 07

07

07

07 - 14: 16: 36 07

07

07

07

07

07

07

07

07 - 13:
16: 19

- 11: 14: 05

- 14: 30: 04

- 10: 22: 37

- 11: 37: 08

- 14: 43: 02

- 13: 15: 42

- 12: 17: 44

- 14: 17: 49

- 13: 19: 06

- 13: 18: 21

- 10: 15: 21

मार.

मार.

मार मार

मार.

मार मार

मार.

मार.

मार.

मार.

मार.

मार मार

मार.

मार.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

और

23

23

23 23

23

30

30

23

23

22

30

23

22

23

23 भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

13. समक्रमित व्यापारः ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'सिंक्रोनाइज़' शब्द का अर्थ है "एक ही समय में होने का कारण।

एक साथ "। एक समक्रमित व्यापार वह है जहाँ खरीदार और विक्रेता उन शेयरों की मात्रा और मूल्य दर्ज करते हैं जो वे एक ही समय में लेन-देन करना चाहते हैं। यह एक ही दलाल (जिसे क्रॉस डील कहा जाता है) या दो अलग-अलग दलालों के माध्यम से किया जा सकता है। [केतन पारेख बनाम। SEBI, मनु/SB/0229/2006]

14. समक्रमित व्यापार वह है जिसमें 'खरीद और बिक्री' के आदेश एक साथ उसी मात्रा और कीमत पर दिए जाते हैं जो वे एक ही समय में लेना-देना करना चाहते हैं। समक्रमित व्यापार अवैध नहीं हैं

बशर्ते कि उन्हें किसी भी अन्य सामान्य व्यापार की तरह ही एक्सचेंज के मूल्य और ऑर्डर मिलान तंत्र में एक्सचेंज के स्क्रीन पर निष्पादित किया जाता है। SEBI के परिपत्र No.SMDRP/POLICY/CIR 32/99 दिनांक 14.09.1999 के अनुसार, "सभी बातचीत किए गए सौदों को किसी भी अन्य सामान्य व्यापार की तरह ही एक्सचेंजों के मूल्य और ऑर्डर मिलान तंत्र में केवल एक्सचेंजों की स्क्रीन पर निष्पादित किया जाएगा।" . उक्त परिपत्र में, यह कहा गया था कि "उपरोक्त निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि बातचीत किए गए सौदे पारदर्शिता की आवश्यकताओं से बचते हैं, मूल्य खोज में योगदान नहीं करते हैं और कुछ निवेशकों को सर्वोत्तम संभव मूल्य का लाभ नहीं मिलता है और वे स्टॉक एक्सचेंज की मूल अवधारणा के खिलाफ लड़ते हैं, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में खरीदारों और विक्रेताओं को खुले तरीके से एक साथ लाना है।" . (संदर्भः HTTPS: // डब्ल्यू. डब्ल्यू. सेब. गव. में/कानूनी/परिपत्र/सितंबर-1999/बातचीत-सौदे _ 186

29.एचटीएमएल)

15. केतन पारेख बनाम। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने उन परिस्थितियों पर विचार किया है जिनके तहत

" समक्रमित व्यापार "कानूनी होगा और निम्नानुसार आयोजित किया जाएगाः

" एक अन्य प्रकार के लेन-देन हैं जिन्हें आमतौर पर समक्रमित सौदे कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'सिंक्रोनाइज़' शब्द का अर्थ है "एक ही समय में होने का कारण; एक साथ रहें"। एक समक्रमित व्यापार वह है जहाँ खरीदार और विक्रेता उन शेयरों की मात्रा और मूल्य दर्ज करते हैं जो वे एक ही समय में लेन-देन करना चाहते हैं। यह एक ही दलाल (जिसे क्रॉस डील कहा जाता है) या दो अलग-अलग दलालों के माध्यम से किया जा सकता है। सौदा पूरा होने से पहले प्रत्येक खरीद और बिक्री आदेश का मिलान होना चाहिए। यह मिलान स्टॉक एक्सचेंज तंत्र या बाजार से बाहर के माध्यम से हो सकता है। जब यह स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मेल खाता है, तो यह एक समकालिक सौदा [2018] 1 एस. सी. आर. हो भी सकता है और नहीं भी।

यह उस समय पर निर्भर करता है जब खरीद और बिक्री के ऑर्डर दिए जाते हैं। ऐसे सौदे होते हैं जो बाजार से मेल खाते हैं यानी खरीदार और विक्रेता कीमत और मात्रा पर सहमत होते हैं और बाजार के बाहर लेनदेन को निष्पादित करते हैं और फिर एक्सचेंज को इसकी सूचना देते हैं। इन्हें संवादी लेनदेन भी कहा जाता है। ... . इसने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी थोक सौदों को एक्सचेंज के माध्यम से लेन-देन करने की आवश्यकता है, भले ही कीमत और मात्रा बाजार के बाहर तय की गई हो। जब ऐसे सौदे एक्सचेंज के माध्यम से जाते हैं, तो वे सिंक्रनाइज़ करने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए, यह होगा कि एक समक्रमित व्यापार या एक व्यापार जो बाजार से मेल खाता है, अपने आप में अवैध नहीं है। केवल इसलिए कि शेयर बाजार के पटल पर खरीदार और विक्रेता के साथ एक व्यापार को पार किया गया था, जिसमें वे क्रमशः उस मूल्य को दर्ज करते हैं जिस पर वे खरीदना और बेचना चाहते थे, लेनदेन अवैध नहीं हो जाता है। व्यापार पटल पर भी वास्तविक पक्षों के बीच एक समक्रमित लेनदेन जो व्यापार स्टॉक में लाभकारी ब्याज हस्तांतरित करने का इरादा रखते हैं और जो केवल उस उद्देश्य के लिए लेनदेन करते हैं और बाजार में धांधली के लिए नहीं, अवैध नहीं है और नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

16. एक समक्रमित लेन-देन अवैध या निगमनों का उल्लंघन करने वाला बन जाएगा यदि इसे बाजार में हेरफेर करने के लिए निष्पादित किया जाता है या परिपत्र व्यापार में परिणाम या प्रकृति में संदिग्ध है और स्क्रिप की कीमत या मात्रा को कम करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के साथ किया जाता है।

तान पारेख मामला, एस. ए. टी. निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

..... हालाँकि, एक समकालिक लेन-देन नियमों का अवैध या उल्लंघन होगा यदि इसे बाजार में हेरफेर करने की दृष्टि से निष्पादित किया जाता है या यदि इसका परिणाम परिपत्र व्यापार में होता है या प्रकृति में संदिग्ध होता है और इसे विनियामक पहचान से बचने के लिए निष्पादित किया जाता है या लाभकारी स्वामित्व में परिवर्तन शामिल नहीं होता है या गलत मात्रा बनाने के लिए निष्पादित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बाजार संतुलन बिगड़ जाता है। बाजार तंत्र को पराजित करने के इरादे से निष्पादित कोई भी लेनदेन, चाहे बातचीत की गई हो या नहीं, अवैध होगा। बाजार में हेरफेर करने या उसके तंत्र को विफल करने के इरादे से कोई लेनदेन किया गया है या नहीं, यह इरादे पर निर्भर करेगा।

उपस्थित पक्षकारों से जिनका अनुमान लगाया जा सकता है

परिस्थितियां क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता है। निष्पादित लेन-देन की प्रकृति, जिस आवृत्ति के साथ ऐसे लेन-देन किए जाते हैं, लेन-देन का मूल्य, क्या उनमें परिपत्र व्यापार शामिल है और क्या भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड v.

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

लाभकारी स्वामित्व में वास्तविक परिवर्तन होता है, तब बाजार में प्रचलित परिस्थितियाँ कुछ ऐसे कारक हैं जो पक्षों के इरादे को दर्शाते हैं। कारकों की यह सूची, चीजों की प्रकृति में, संपूर्ण नहीं हो सकती है। कोई भी एक कारक हो भी सकता है और नहीं भी। निर्णायक होगा और इनके संचयी प्रभाव से ही एक निष्कर्ष निकालना होगा। (रेखांकित करना जोड़ा गया)

17. वर्तमान मामले में, निफ्टी से संबंधित सभी चौदह लेनदेन (एक को छोड़कर) समक्रमित थे। यह ध्यान दिया जाए कि जैसा कि बताया गया है एस. ए. टी. द्वारा अपने आदेश के पैरा (7) में, प्रत्यर्थी ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि ". व्यापारों को समक्रमित और उलट दिया गया था।" द.

प्रत्यर्थी ने केवल यह तर्क दिया कि विवादित "समकालिक व्यापार" ने बाजार में हेरफेर नहीं किया और जो प्रतिबंधित है वह केवल समकालिक व्यापार है और विवादित व्यापार सामान्य थे। लेन-देन और प्रत्यर्थी ने पीएफयूटीपी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया था। एस. ए. टी. के समक्ष राखी ट्रेडिंग द्वारा लिए गए रुख के संदर्भ में, अब प्रतिवादी राखी ट्रेडिंग के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि लेन-देन को समन्वित और उलट नहीं किया गया था।

18. विवादित लेन-देन के 'खरीद और बिक्री', 'व्यापार की मात्रा' और 'व्यापार के समय' के विवरण के अवलोकन से यह देखा गया कि प्रतिवर्ती व्यापार लगभग समान मात्रा में किए गए थे और व्यापार भी कुछ सेकंड के छोटे अंतराल के भीतर था जिसमें कीमत में महत्वपूर्ण भिन्नता थी, हालांकि, उस अवधि के दौरान अंतर्निहित मूल्य में कोई बड़ा अंतर नहीं था। व्यापार लेन-देन की जांच करने पर, यह भी पाया गया कि विवादित लेन-देन में प्रतिवादी ने प्रशांत जयंतीलाल पटेल के माध्यम से इसके दलाल और काउंटर पार्टी कसम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से काम किया था। लिमिटेड, जिसने उन लेनदेनों को निष्पादित किया

वाइब्रेंट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। लिमिटेड अपने दलाल के रूप में। जैसा कि सारणीबद्ध कॉलम में बताया गया है, सभी उलट/बंद लेनदेन एक छोटी अवधि के भीतर महत्वपूर्ण भिन्नता के साथ कीमतों पर निष्पादित किए गए थे, हालांकि उस अवधि के दौरान अंतर्निहित कीमत में कोई बड़ा अंतर नहीं था।

19. उदाहरण के लिए, आइए हम आक्षेपित प्रतिवर्ती व्यापारों में से एक का उल्लेख करें। 21.03.2007 पर 14 बजेः 50: 27 , निफ्टी 50 (स्ट्राइक प्राइस 3930) विकल्प (व्यापार मात्रा 10,000) एक सेकंड के भीतर 14 पर बेचे गएः 50: 28 में

Rs.270/- का व्यापार मूल्य। थोड़े समय के अंतराल में, 15 बजेः 06: 42 , समान निफ्टि 50 (व्यापार मात्रा 10,000) (हड़ताल मूल्य 3930) को प्रत्यर्थी द्वारा Rs.110/- के व्यापार मूल्य पर तीन सेकंड के भीतर खरीदा गया था और व्यापार के दो चरणों का मूल्य अंतर Rs.160/- COD Rs.16,00,000/- के साथ था। उस दिन व्यापार के सकल का प्रतिशत [2018] 1 एस. सी. आर.

40.82% था। जैसा कि चार्ट से देखा गया है, अन्य प्रतिवर्ती व्यापार लेनदेन भी कुछ सेकंड के अंतराल के भीतर, 'खरीद' और 'बिक्री' आदेश के बीच, महत्वपूर्ण मूल्य भिन्नता के साथ लगभग समान थे, हालांकि अंतर्निहित मूल्य में कोई बड़ी भिन्नता नहीं थी। उनकी जाँच के दौरान

लेन-देन, पूरे समय के सदस्य ने देखा कि समक्रमित लेन-देन का एक निश्चित उद्देश्य एक पक्ष को सक्षम करना था (राखी ट्रेडिंग)

पक्षकारों की परिस्थितियाँ और इरादे। सामूहिक रूप से अभिनय करना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना मुश्किल है। हेरफेर का प्रमाण तथ्यात्मक विवरणों से प्राप्त निष्कर्षों पर निर्भर हो सकता है। इस तरह व्यापार डेटा के स्वरूप और लेन-देन की प्रकृति आदि से निष्कर्ष एकत्र किए जा सकते हैं।

इस प्रकार जैसे ही एक पक्ष बाजार में अपना व्यापार खोलता है, दूसरा पक्ष पार्टी इसे खरीदेगी। हालांकि व्यापार स्क्रीन पर दिखाया गया है, लेकिन पूर्व व्यवस्था स्क्रीन के पीछे बहुत अच्छी तरह से संभव है। यह है बात

हाथ में मामले में किया गया था। खरीद और बिक्री के आदेश कुछ सेकंड/मिनट के अंतर पर दिए गए थे, जबकि प्रतिवादी द्वारा कासम होल्डिंग को उच्च कीमत पर 'बेचें' और प्रतिवादी द्वारा कासम होल्डिंग प्राइवेट से 'खरीदें'। लिमिटेड कम कीमत पर। जिन लेन-देनों में 'खरीद और बिक्री' के आदेश लगभग एक साथ प्रवेश करते हैं और लेनदेन समय और मात्रा में महत्वपूर्ण मूल्य भिन्नता के साथ मेल खाते हैं और प्रतिवादी लगातार लाभ कमाते हैं लेकिन कासम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड लगातार नुकसान कर रहा है। प्रत्यर्थी और कासम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच प्रतिवर्ती व्यापारों की संख्या। लिमिटेड और इस तरह का उलट व्यापार बार-बार हो रहा है

कुछ समय के लिए केवल यह इंगित करता है कि भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड पूर्व-व्यवस्था में था।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

व्यापार निष्पादित होने से पहले पक्षों के बीच। कुछ सेकंडों के भीतर केवल एक ही दो पक्षों को शामिल करने वाले लेनदेन

वर्तमान मामले में, हर बार एक पक्ष लाभ कमा रहा है और दूसरे पक्ष को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, पार्टी-कासम होल्डिंग प्राइवेट को उच्च कीमत पर ऑर्डर बेचने के समय निकटता थी। लिमिटेड और उसी मात्रा को कासम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस किया जा रहा है। लिमिटेड उसी पक्ष को-राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। दलालों के एक ही समूह के माध्यम से कम कीमत पर लिमिटेड। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, मार्च, 2007 के दौरान तेरह निफ़्टी विकल्प अनुबंधों का मिलान एक ही दलालों के माध्यम से एक ही पक्ष के बीच किया गया। मुझे यह समझ में नहीं आता कि कासम होल्डिंग ने बार-बार नुकसान उठाकर लेनदेन क्यों किया है। यह असंभव प्रतीत होता है कि कासम होल्डिंग, जो प्रत्यर्थी के साथ व्यापार करके प्रत्येक लेन-देन में नुकसान का सामना कर रही थी, अभी भी लगभग चार दिनों तक उसी के साथ बार-बार व्यापार करने के लिए उत्सुक थी, जो बाजार की प्रवृत्ति और मानवीय आचरण के अनुरूप नहीं है। अंतर्निहित मूल्य में अंतर। इस प्रकार यह स्वीकार करना मुश्किल है कि प्रतिवादी और कासम होल्डिंग के बीच "1", "2" या "3" या कुछ सेकंड के अंतराल के भीतर ऐसे कई बिक्री और खरीद आदेश केवल संयोग से थे। जैसा कि अपीलार्थी-एस. ई. बी. आई. ने तर्क दिया, यह बहुत अधिक संयोग था कि समान मात्रा में स्टॉक वाले समान पक्षों के बीच 'खरीद और बिक्री आदेश' के लेनदेन की संख्या थी और कीमत में महत्वपूर्ण भिन्नता थी।

23. जहां तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम में दलालों के एक ही समूह और विचारों की बैठक से जुड़े समकालिक व्यापार का संबंध है।

किशोर आर. अजमेरा (2016) 6 एस. सी. सी. 368, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 29. यह हमें मामलों की दूसरी और तीसरी श्रेणी में ले जाएगा।

नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड (पहले नेटवर्थ स्टॉक ब्रोकिंग के रूप में जाना जाता था) लिमिटेड) (तीसरी श्रेणी)। इन मामलों में विचाराधीन तरल शेयरों में व्यापार की मात्रा बहुत अधिक थी, जिसकी सीमा [2018] 1 एस. सी. आर. निर्धारित की जा रही थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिमाग की पूर्व बैठक के साथ जोड़-तोड़ वाला व्यायाम। दलाल/उप-दलाल के दायित्व को आकर्षित करने के लिए दिमाग की ऐसी बैठक दलाल/उप-दलाल और ग्राहक के बीच हो सकती है या यह खरीद और बिक्री लेनदेन में लगे दो दलालों/उप-दलालों के बीच हो सकती है। जब समय के साथ दलालों के एक ही समूह या दलालों के एक समूह के बीच इस तरह के लेनदेन किए गए थे, तो इस निष्कर्ष पर यथोचित रूप से पहुंचा जा सकता है कि संबंधित दलालों की ओर से इसमें शामिल होने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। समन्वित व्यापार जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में काल्पनिक व्यापार होता है जिसके परिणामस्वरूप स्क्रिप (ओं) की कीमत/मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इसमें यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन व्यापार समय-समय पर जारी किए गए बोर्ड के परिपत्रों की शर्तों के अनुसार निष्पादित "बातचीत किए गए व्यापार" नहीं थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बातचीत व्यापार, सहमति से सौदेबाजी का आह्वान करता है जिसमें खरीद और बिक्री आदेशों का समन्वय शामिल होता है जिसके परिणामस्वरूप उनका मिलान होगा लेकिन केवल अनुमेय के रूप में।

मापदंड जो तदनुसार क्रमादेशित किए जाते हैं।

हमारे लिए, दूसरा पक्ष/ग्राहक या दलाल कौन है, इसका ज्ञान बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। जबकि पर्दा-आधारित व्यापार प्रणाली पक्षों की पहचान को गुमनाम रखती है, उक्त आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना बहुत भोलापन होगा जो कहीं और मन की बैठक को नजरअंदाज करता है। कहीं और मन की इस तरह की बैठक का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी सामने आएगा। हमारे विचार में, परीक्षण, जहां तक अधिनियम या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न नागरिक दायित्व के निर्णय की संभावनाओं की प्रमुखता में से एक है। इसके तहत बनाए गए विनियम संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 24 के तहत किसी भी विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अभियोजन, निश्चित रूप से, उचित संदेह से परे सबूत के आधार पर होना चाहिए।

भारत का क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड v. राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

31. निष्कर्ष को विभिन्न परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए जैसे कि प्रभावित व्यापार की मात्रा; विशेष स्क्रिप में व्यापार में दृढ़ता की अवधि; खरीद और बिक्री आदेशों का विवरण, अर्थात्, उनकी मात्रा; दोनों और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों के बीच समय की निकटता। तथ्य यह है कि दलाल ने स्वयं स्क्रिप की एक विशेष मात्रा की बिक्री शुरू की है किसी विशेष दिन और दिन के अंत में लगभग समान संख्या में एक ही स्क्रिप उसके पास वापस आ गई है। कि व्यापार खातों के निपटान के बिना चला है अर्थात बिना किसी लेनदेन के।

तरल शेयरों में भुगतान और व्यापार की मात्रा, सभी, एक उचित व्यक्ति में एक गंभीर संदेह पैदा करना चाहिए कि क्या व्यापार वास्तविक हैं। दलालों/उप-दलालों की इस न्यूनतम आवश्यकता के प्रति खुद को सचेत करने में विफलता और या तो लंबे समय तक या उसकी बड़ी मात्रा के संबंध में विशेष स्क्रिप में व्यापार में उनकी दृढ़ता, हमारे विचार में, न केवल लापरवाही और उचित देखभाल और सावधानी की कमी का खुलासा करेगी, बल्कि निषिद्ध सीमाओं से परे व्यापार में लिप्त होने के जानबूझकर इरादे को भी प्रदर्शित करेगी जिससे एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधान आकर्षित होंगे। [रेखांकित करना जोड़ा गया]

24. निर्मल बैंग सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय शुल्क और विनिमय बोर्ड (एम. ए. एन. यू./एस. बी./0206/2003) के अध्यक्ष ने मूल्य, मात्रा और समय की जाँच को लागू करते हुए कहा कि उस मामले में समक्रमित एन. जी. प्रतिभूतियों में व्यापार के मानदंडों का उल्लंघन था और

निम्नानुसारः

" 249. बी. ई. बी. पर फर्स्ट ग्लोबल के साथ समन्वित सौदों के लिए शुल्क लगाया गया है। मैंने इस मुद्दे पर पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की जांच की है। मुझे बी. ई. बी. और एफ. जी. एस. बी. के बीच कई लेन-देन मिलते हैं। इस तरह के लेन-देन के कई उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि इन आदेशों के लिए स्क्रिप, मात्रा और कीमत काउंटर पार्टी दलालों द्वारा समन्वित की गई थी। इस तरह के लेन-देन निस्संदेह वास्तविक निवेशकों को गुमराह करने के लिए एक कृत्रिम बाजार बनाते हैं। समक्रमित व्यापार व्यापार के सभी विवेकपूर्ण और पारदर्शी मानदंडों का उल्लंघन है।

प्रतिभूतियाँ। बड़े पैमाने पर समक्रमित व्यापार, गलत मात्रा पैदा कर सकता है। यह तर्क कि पक्षों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि क्या ग्राहक द्वारा नियंत्रित कोई इकाई एक साथ है

इस कारण से कहीं और किसी भी विपरीत आदेश में प्रवेश करना कि ऑनलाइन व्यापार प्रणाली, काउंटर पार्टियों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है, असमर्थनीय है। अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि यह [2018] 1 एस. सी. आर. नहीं था।

ब्रोकर के लिए यह जानना संभव है कि काउंटर पार्टी ब्रोकर कौन है और ट्रेडों को सिंक्रनाइज़ नहीं किया गया था, लेकिन यह कुछ मामलों में केवल एक संयोग था। सैद्धांतिक रूप से यह ठीक है। लेकिन जब पक्ष लेन-देन को समन्वित करने का निर्णय लेते हैं तो कहानी अलग होती है। ऐसे कई लेन-देन हैं जो यह धारणा देते हैं कि ये सभी समक्रमित थे, अन्यथा मात्रा मूल्य आदि के इस तरह के सही मिलान की कोई संभावना नहीं थी। जैसा कि उत्तरदाता ने सही कहा है कि यह बहुत अधिक समय में बहुत लंबी अवधि के लिए एक संयोग है। लेन -देन जब
लेनदेन के दोनों पक्षों ने खरीद में प्रवेश किया था

और लगभग समान मात्रा में शेयरों के लिए ऑर्डर बेचते हैं। एक साथ। कारण बताएँ नोटिस में दिया गया डेटा निश्चित रूप से लेन-देन की समकालिक प्रकृति को साबित करता है।

जो एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 4 का उल्लंघन है। अभिलेख पर तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि बी. ई. बी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 47 का उल्लंघन करते हुए समक्रमित व्यापार में लिप्त था। समक्रमित व्यापार में इरादा निहित होता है।

25. SEBI के समक्ष अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में,

प्रमाण प्रायिकता की प्रधानता है। दलालों के एक ही समूह को शामिल करने वाले समान तुल्यकालिक व्यापार के मामले में इस बात पर जोर दिया जाता है कि किशोर आर. अजमेरा मामले में, सबूत पैरा (26) और (27) में "संभावना की प्रधानता" है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 26. यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप का प्रमाण प्रत्यक्ष आधार के रूप में हो सकता है।

साक्ष्य या, कई मामलों की तरह, इस तरह के प्रमाण का अनुमान उपस्थित लोगों की समग्रता से तर्क की एक तार्किक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। लगाए गए और लगाए गए आरोपों के आसपास के तथ्य और परिस्थितियाँ। जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अधिक निश्चित आधार है, फिर भी, इसके अभाव में न्यायालय असहाय नहीं हो सकते हैं। यह न्यायिक कर्तव्य है कि तत्काल और

उन घटनाओं के आसपास के निकट तथ्य और परिस्थितियाँ जिन पर आरोप/आरोप लगाए गए हैं और उन तक पहुँचने के लिए जो न्यायालय को एक उचित निष्कर्ष प्रतीत होगा। द. परीक्षा हमेशा यह होगी कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक उचित/विवेकपूर्ण व्यक्ति कौन सी अनुमानित प्रक्रिया अपनाएगा। ”

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

26. समान पक्षों के बीच मात्रा, समय, कीमतों आदि के इस तरह के सही मिलान की कोई संभावना नहीं थी जब तक कि पूर्व में न हो। भारत के सुधार और विनिमय बोर्ड के बीच मन की बैठक या एक विशिष्ट समझ/व्यवस्था।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

ईएस। केतन पारेख और निर्मल बंग मामलों को संदर्भित करने के बाद,

आई वी। एकॉर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (MANU/SB/0136/2007), SEBI

निम्नानुसारः

" 4.12 मैं ध्यान देता हूं कि ब्रोकर द्वारा निष्पादित अधिकांश समक्रमित व्यापार काउंटर पार्टी के आदेशों के साथ पूरी तरह से मेल खाते थे। यहां तक कि दो दशमलव अंकों की सीमा तक कीमत के संबंध में भी। समान मूल्य पर और लगभग एक ही समय पर समान मात्रा के लिए ऑर्डर देने में निकटता (अधिकांश मामलों में) के परिणामस्वरूप उपरोक्त लेनदेन का सभी अवयवों यानी मात्रा, मूल्य और समय के साथ मिलान हुआ, जो व्यापार को समाप्त करने के लिए आवश्यक थे। समय का अंतर (खरीद और बिक्री आदेशों के बीच)

अधिकांश समक्रमित व्यापार मूल्य और मात्रा मिलान के साथ बहुत कम थे। उक्त समन्वय पहली बार में ग्राहकों के बीच किसी विशिष्ट समझ/व्यवस्था के अभाव में नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब व्यापार के समय कंपनी के शेयर अत्यधिक तरल थे।

4.24 परिस्थितियों में हेरफेर का प्रमाण हमेशा तथ्यात्मक विवरणों के एक समूह से लिए गए निष्कर्षों पर निर्भर करता है। निष्कर्षों को व्यापार डेटा के पैटर्न और लेनदेन की प्रकृति आदि से एकत्र किया जाना चाहिए। कई परिस्थितियों में ए

एक प्रमुख बाजार हेरफेर में पक्षों के आचरण से उत्पन्न निष्कर्ष के साथ निर्धारक चरित्र यथोचित रूप से इस निष्कर्ष पर ले जा सकता है कि दलाल हेरफेर में जिम्मेदार था। प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य उस तथ्य के अस्तित्व के संबंध में उसके पक्ष में अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जिसे साबित करने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि "साक्ष्य के कानून" में बेस्ट द्वारा बताया गया है, निर्दोषता का अनुमान निस्संदेह अनुमान न्यायशास्त्र है; लेकिन रोजमर्रा के अभ्यास से पता चलता है कि परिस्थितियों से उत्पन्न अपराध के अनुमान से इसका सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है, हालांकि यह तथ्य का अनुमान हो सकता है। चूँकि उन तथ्यों को साबित करना बहुत मुश्किल है जो विशेष रूप से इसके भीतर हैं।

संबंधित पक्षों की जानकारी, ऐसी परिस्थितियों में कानूनी प्रमाण मामले की संभावनाओं के बारे में एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के अनुमान के चरित्र को भाग लेता है। माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) ने केतन पारेख बनाम के मामले में टिप्पणी की है। एस. ई. बी. आई.:

" ..... बाजार में हेरफेर करने या उसके तंत्र को विफल करने के इरादे से कोई लेन-देन किया गया है या नहीं, यह पक्षकारों के इरादे पर निर्भर करेगा जिसका अनुमान उपस्थित परिस्थितियों से लगाया जा सकता है क्योंकि इस तरह के लेनदेन में प्रत्यक्ष साक्ष्य है।

मामले उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

4.25 अनुमान किसी भी मामले में बाजार प्रतिभागी की भागीदारी या अन्यथा के बारे में एक निष्कर्ष पर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हेरफेर। उदाहरण के लिए, व्यापार करते समय, समझौते पर पहुंचने के दौरान स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली को एक लिप सर्विस का भुगतान किया जा सकता है।

लेन-देन के लिए पक्षों के विशेष/विशिष्ट ज्ञान में हैं। इसके अलावा इस तरह के लेन-देन में शामिल पक्षों को निर्दोष ठहराने का कोई भी सुझाव एक ऐसी असमर्थनीय स्थिति को जन्म देगा जहां अकेले कुछ अन्य तीसरे व्यक्ति/संस्थाएं ऐसा करेंगे। हेरफेर के लिए जिम्मेदार रहें और कोई और नहीं।

27. किशोर आर. अजमेरा मामले में निर्धारित परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, मैं पाता हूं कि उलट लेनदेन के संचयी विश्लेषण से

प्रतिवादी और कासम होल्डिंग के बीच, प्रतिभूतियों के अंतर्निहित मूल्य में बड़े बदलाव के बिना, मात्रा, समय और कीमतों में महत्वपूर्ण भिन्नता, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रतिवादी के व्यापार वास्तविक नहीं हैं और लाभकारी स्वामित्व को हस्तांतरित करने के इरादे के बिना, प्रतिभूति बाजार में व्यापार का केवल भ्रामक रूप था।

28. अपीलार्थी का तर्क यह है कि यदि बाजार आगे बढ़ने लगता है या बाजार की धारणा और प्रत्याशित धारणा में कोई बदलाव होता है

भविष्य में इसके प्रदर्शन के कारण, विक्रेता अक्सर बहुत आशंकित हो जाता है और यहां तक कि घबरा भी सकता है, एक महत्वपूर्ण नुकसान का अनुमान लगाते हुए और नुकसान को सीमित करने के लिए अपनी स्थिति को कम करना चाहता है। मुझे इस विवाद में कोई दम नजर नहीं आता। जहां तक विवादित लेन-देन का संबंध है, यह देखा गया है कि अंतर्निहित शेयरों का बाजार पूरी तरह से अडिग रहा था, तो घबराने का कोई सवाल ही नहीं था। जब कोई अन्य लेन-देन नहीं थे

अंतर्निहित शेयरों या एफ एंड ओ खंड की कीमत को प्रभावित करने वाले बाजार में और दोनों खंडों में कीमत स्थिर रही थी, तो आशंकित होने और घबराने का कोई उचित आधार नहीं था। इसलिए, स्थिति को चुकाना वित्तीय परिणामों को समायोजित करने के लिए प्रतीत होता है अनुचित व्यापार प्रथा के माध्यम से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर की घटनाओं से बचने के लिए।

29. प्रत्यर्थी की ओर से, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम ने तर्क दिया कि निफ्टी जैसी प्रतिभूतियां विशाल पूल हैं और निफ्टी का एक गतिशील सूचकांक है जो लगातार विकसित होता है और एक हेरफेर करने वाले के लिए ऐसी कीमतों को प्रभावित करना बहुत मुश्किल है। आगे का विवाद प्रत्यर्थी यह है कि क्या आक्षेपित व्यापार समक्रमित हैं या नहीं, इसका बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रत्यर्थी को नियमों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है।

30. प्रत्यर्थी की ओर से-तुंगरली ट्रेडप्लेस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, श्री मेहता विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति को पाया जा सकता है

प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादित आक्षेपित व्यापार और एस. ए. टी. के निष्कर्षों द्वारा हेरफेर कानून में टिकाऊ नहीं हैं और बाजार की अखंडता पर गंभीर परिणाम होंगे। 32. प्रत्यर्थी ने बार-बार नुकसान उठाकर लेन-देन किया है, विशेष रूप से जब बाजार में किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया था। अंतर्निहित प्रतिभूति की कीमत पर संबंधित प्रभाव के बिना जिन कीमतों पर व्यापार किए गए थे, उनके बीच असामान्य अंतर से पता चलता है कि जिस विकल्प में पक्ष ने व्यापार किया, वह बाजार में मांग में नहीं था। यह असामान्य है कि जब अंतर्निहित कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो व्यापार इतने बड़े मुनाफे के साथ किए गए थे। इन व्यापार लेन-देनों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से केवल जोड़-तोड़ के उद्देश्य को पूरा करना था।

33. एक बार जब प्रतिवर्ती लेन-देन को गैर-वास्तविक दिखाया जाता है या काल्पनिक दिखाया जाता है, तो इसमें एक गलत या भ्रामक उपस्थिति पैदा होती है। गलत उद्देश्य के लिए बाजार और यह कि [2018] 1 एस. सी. आर. द्वारा शेयर बाजार का दुरुपयोग किया गया था।

34. एस. ए. टी. ने मुख्य रूप से आगे कहा कि विवादित उलट व्यापार लेनदेन का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यह कभी नहीं हो सकता था। निफ़्टी को प्रभावित किया। कारण दर्शाओ नोटिस निकालने के बाद, एसएटी ने अन्य बातों के साथ-साथ निष्कर्षों को दर्ज कियाः - (i) आक्षेप यह है कि एफ एंड ओ खंड में हेरफेर वाले व्यापारों को निष्पादित करके, निफ्टी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी; (ii) यह पक्षों का एक सामान्य मामला है कि अपीलकर्ता राखी ट्रेडिंग ने एफ एंड ओ में केवल तेरह निफ्टी विकल्प अनुबंधों का व्यापार किया।

खंड; यह मानते हुए कि ये व्यापार हेरफेर थे, वे कभी भी निफ्टी को प्रभावित नहीं कर सकते थे; निफ्टी जिसमें नकदी खंड में पचास अच्छी तरह से विविध उच्च तरल स्टॉक शामिल हैं, शेयरों का एक बहुत बड़ा अच्छी तरह से विविध सूचकांक है जो बहुत कम प्रभावित होने में सक्षम नहीं है।

मूल्यों के उतार-चढ़ाव द्वारा हेरफेर किया गया; और (iii) अपीलार्थी द्वारा निष्पादित निफ्टी विकल्पों में तेरह विवादित व्यापारों का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या निवेशकों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया और न ही उन्होंने बाजार में निफ्टी को प्रभावित किया।

किसी भी तरह से।

35. विनियम 3 "प्रतिभूतियों में कुछ लेन-देन के निषेध" से संबंधित है। विनियमन 4 "जोड़-तोड़ का निषेध" से संबंधित है,

धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाएं "। विनियम 4 "विनियम 3 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना" के रूप में शुरू होता है। विनियम 4 (2) एक समावेशी प्रावधान है। विनियम 4 (2) में कहा गया है कि प्रतिभूतियों में लेनदेन को धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार माना जाएगा।

यदि इसमें धोखाधड़ी शामिल है और इसमें सभी या इनमें से कोई भी शामिल हो सकता है, तो अभ्यास करें। विनियम 4 (2) (ए) ".....।

प्रतिभूति बाजार "। विनियमन 4 (2) (ए) के अंतर्गत आने वाला एक अधिनियम, यह आवश्यक नहीं है कि पक्ष द्वारा किए गए लेनदेन के साथ था

बाजार में हेरफेर करने का इरादा और यह कि वास्तव में बाजार में हेरफेर किया गया था। बाजार हेरफेर बाजार के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन में हस्तक्षेप करने और मूल्य, बाजार, उत्पाद, सुरक्षा और मुद्रा के संबंध में कृत्रिम, गलत या भ्रामक उपस्थिति बनाने का एक जानबूझकर प्रयास है। 36. प्रत्यर्थी-तथ्यों पर राखी ट्रेडिंग और कसम होल्डिंग गैर-वास्तविक लेनदेन में लगे हुए पाए गए हैं।

व्यापार की उपस्थिति। यदि हेरफेर का तथ्य स्थापित हो जाता है, तो यह

यह अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करेगा कि बाजार में निवेशकों को भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से प्रेरित किया गया है।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

खरीदने या बेचने के लिए और इस संबंध में आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। बाजार, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इतना व्यापक है कि बोर्ड के लिए उन व्यक्तियों का पता लगाना मानवीय रूप से संभव नहीं हो सकता है जिन्हें वास्तव में प्रेरित किया गया था। हेरफेर के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना और बोर्ड पर ऐसा बोझ नहीं डाला जा सकता है जिसका निर्वहन असंभव है।

37. 1995 के विनियमों, पुराने विनियम 4 (2) (ए), एस. ए. टी. के संदर्भ में, यह देखते हुए कि यदि हेरफेर का तथ्य स्थापित किया जाता है, तो यह होगा

अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करें कि बाजार में निवेशकों को खरीदने और बेचने के लिए प्रेरित किया गया था और केतन पारेख के मामले (ऊपर) में इस संबंध में आगे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, जो निम्नानुसार हैः

" 12. ..... स्टॉक एक्सचेंज मांग और मांग की बाजार शक्तियों के आधार पर एक स्क्रिप के उचित मूल्य की खोज के लिए भी एक मंच है।

हेरफेर और कानून के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए प्रेरित होना बोर्ड पर कभी भी ऐसा बोझ नहीं डाल सकता जो असंभव हो। छुट्टी दे दी जाए। यह, हमारे विचार में, स्पष्ट रूप से मैदान से बहती है।

विनियमों के विनियम 4 (ए) की भाषा।

38. प्रतिभूति बाजार का सुचारू संचालन और इसकी स्वस्थ वृद्धि और विकास काफी हद तक गुणवत्ता और विकास पर निर्भर करता है।

बाजार की अखंडता। अनुचित व्यापार प्रथाएं अखंडता और [2018] 1 एस. सी. आर. को प्रभावित करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिभूति बाजार की दक्षता और निवेशकों का विश्वास। बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम और बाजार की अखंडता का संरक्षण प्रतिभूति कानून की पहचान है। एन. नारायणन बनाम। न्यायिक अधिकारी,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2013) 12 एस. सी. सी. 152, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 33. बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम और बाजार का संरक्षण

सत्यनिष्ठा प्रतिभूति कानून की पहचान है। 2003 के विनियमों के विनियम 3 और 4 के साथ पठित धारा 12-ए का उद्देश्य अनिवार्य रूप से "बाजार की अखंडता" को बनाए रखना और "बाजार के दुरुपयोग" को रोकना है।

SEBI अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है, ताकि प्रतिभूतियों के व्यवस्थित, स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
प्रतिभूति बाजार और निवेशकों के संरक्षण को बढ़ावा देना। प्रतिभूति बाजार सूचना तक मुक्त और खुली पहुंच पर आधारित है,

बाजार की अखंडता गुणवत्ता और जिस तरीके से इसे बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, उस पर आधारित होती है। बाजार का दुरुपयोग "आर्थिक विकास को बाधित करता है और निवेशक के विश्वास को कम करता है। बाजार दुरुपयोग जोड़-तोड़ और भ्रामक उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो गलत या भ्रामक जानकारी देते हैं, ताकि निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सके।
गलत आधार पर निष्कर्ष निकालना, जिसे दुर्व्यवहार करने वालों के लिए गलत माना जाता है। पहले उल्लिखित वैधानिक प्रावधान उन स्थितियों से संबंधित हैं जहां कोई व्यक्ति, जो प्रतिभूतियों में सौदा करता है, किसी कार्रवाई के प्रभाव का लाभ उठाता है, बाजार पर प्रत्याशित प्रभाव पर हेरफेर हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप "कृत्रिमता का निर्माण" होता है। उसी को फुलाकर प्राप्त किया जा सकता है

कंपनी का राजस्व, लाभ, प्रतिभूति जमा और प्राप्य,

जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई। निवेशकों को तब उपरोक्त उपकरणों का उपयोग करके उन हेरफेर किए गए फुलाए गए परिणामों पर अपने "निवेश निर्णय" लेने के लिए लुभाया जाता है जो

यह बाजार के दुरुपयोग के बराबर है। "

39. एक साक्षात्कार में, लॉरेंस ई हैरिस, प्रतिभूति और विनिमय आयोग में एक पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और अब एक वित्त प्रोफेसर हैं।

दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने कहा है कि हेरफेर को साबित करने में कठिनाई शायद आधुनिक बाजारों की एक अंतर्निहित विशेषता है।

" क्योंकि बाजार इतने जटिल हैं ", उन्होंने कहा। हेरफेर में लगे व्यापारियों के लिए वैकल्पिक पेशकश करना अपेक्षाकृत आसान है। उनके व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण जो उन पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाना मुश्किल बना देगा "। प्रोफेसर हैरिस ने फिर भी कहा, "जब फर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम द्वारा हेरफेर का सुझाव देने वाले डेटा के साथ प्रस्तुत किया गया।

राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

मालिकाना व्यापारियों, यह उम्मीद करना उचित है कि एस. ई. सी. मामले की आगे की जांच पर विचार करेगा। एस. ई. सी. ने शोधकर्ताओं के अध्ययन पर कोई टिप्पणी नहीं की। [संदर्भः डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यूयॉर्क टाइम्स। कॉम/2006/05/07/बिजनेस/योरमनी/07 स्ट्रा। एचटीएमएल]

40. शेयर बाजार को मुख्य रूप से एस. ई. बी. आई. द्वारा और कुछ हद तक आर्थिक मामलों के विभागों और कंपनी मामलों के विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारत सरकार। बाजार में हेरफेर कई तरीकों से हो सकता है। हेरफेर/अनुचित व्यापार पद्धतियाँ बाजार की प्रभावशीलता को कम करती हैं। एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11 में बोर्ड के कार्यों का प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और विकास को बढ़ावा देना और विनियमित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

प्रतिभूति बाजार ऐसे उपायों द्वारा जो वह उचित समझता है। इस संबंध में एस. ई. बी. आई. का मुख्य कार्य प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए जांच, जांच और निर्देश देना है। प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं, बाजार में हेरफेर, मूल्य में धांधली और अन्य धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, एस. ई. बी. आई. को ऐसा करने का अधिकार है

पूछताछ और निरीक्षण। 41. पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 के विनियम 3 और 4 के साथ पठित एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 12 ए को अनिवार्य रूप से संरक्षित करने का उद्देश्य है।

प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित, स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना और निवेशक की सुरक्षा को बढ़ावा देना। एन. नारायणन का मामला सामने आया जिसके संबंध में एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12 ए के साथ-साथ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन। एन. नारायणन के मामले में, यह पाया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों को बताए गए कंपनी के वित्तीय परिणामों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था और कंपनी के वित्तीय परिणामों में हेरफेर के परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई और वे कंपनी की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और जिसने कुछ शेयरधारकों को शेयरों को गिरवी रखने के लिए वित्तपोषण बढ़ाने में सक्षम बनाया है। कंपनी के निदेशक को दो साल की अवधि के लिए प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार करने में प्रतिबंधित किया गया था और उस पर अपीलार्थी पर मौद्रिक जुर्माना भी लगाया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संदेश जाना चाहिए कि हमारा देश 'बाजार के दुरुपयोग' को बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रतिभूति बाजार के दुरुपयोग और धोखाधड़ी, कृत्रिमता का देश के प्रतिभूति बाजार में कोई स्थान नहीं है और यह निम्नानुसार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1. हाल के दिनों में भारत के पूंजी बाजार में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसकी विशेषता विशेष रूप से वृद्धि है।

जनता की भागीदारी। पूंजी बाजार में निवेशकों के विश्वास को निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके काफी हद तक बनाए रखा जा सकता है।

प्रकटीकरण और पारदर्शिता दो स्तंभ हैं जिन पर बाजार की अखंडता टिकी हुई है। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि निवेशक कैसे ' आत्मविश्वास कम हो गया है और कैसे व्यक्तिगत लाभ और उपलब्धियों के लिए बाजार का दुरुपयोग किया गया है।

42. बाजार नियामक, एस. ई. बी. आई. को जोड़-तोड़ और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार आदि में लिप्त कंपनियों और उनके निदेशकों के साथ सख्ती से निपटना होगा अन्यथा वे प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के अपने कर्तव्य में विफल रहेंगे। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि आर्थिक अपराध एक गंभीर अपराध है, जिससे यदि ठीक से निपटा नहीं गया, तो यह न केवल देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा, बल्कि वास्तविक निवेशकों द्वारा विदेशी निवेश के प्रवाह को भी धीमा कर देगा और भारत के प्रतिभूति बाजार पर भी धब्बा लगाएगा। यह संदेश जाना चाहिए कि हमारा देश

हम "बाजार के दुरुपयोग" को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम "कानून के शासन" द्वारा शासित हैं। धोखाधड़ी, छल, कृत्रिमता, एस. ई. बी. आई. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश के प्रतिभूति बाजार और "बाजार" में इसका कोई स्थान नहीं है।

दुर्भाग्य से कंपनियों के प्रबंधन को अक्सर हमारे समाज में अपनी कंपनियों के ग्राहकों और निवेशकों की तुलना में अधिक सम्मान मिलता है। कंपनियां निवेशकों के योगदान से समृद्ध हो रही हैं। लेकिन वे बहुत विभाजित हैं।

इसलिए, भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड की रक्षा करना एस. ई. बी. आई. का कर्तव्य है। राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

निवेशक, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और अंदरूनी लोगों के अवसरवादी व्यवहार के खिलाफ, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। बाजार की अखंडता "। [रेखांकित करना जोड़ा गया]

उच्चतम न्यायालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्तव्यों पर भी जोर दिया है कि वे उपस्थित जनता को गुमराह न करें

42. पूंजी बाजार नियामक, एस. ई. बी. आई. को निवेशकों के हितों की रक्षा करने और सख्ती सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक एस. ई. बी. आई. नियमों और विनियमों का अनुपालन। रक्षा करने के लिए

एक नियामक के रूप में निवेशकों के हित और बाजारों की अखंडता,

कर चोरी आदि जैसे कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए व्यवहार/हेरफेर बाजार। बाजार की ताकतों और नियामक निकाय के हस्तक्षेप के बीच सही संतुलन खोजने के लिए, एस. ई. बी. आई. को उन लोगों से सख्ती से निपटना होगा जो बाजार का दुरुपयोग करने के लिए हेरफेर करने वाले व्यापार और भ्रामक उपकरणों में लिप्त हैं। साथ ही बाजार के विकास को सुनिश्चित करना।

44. इससे पहले कि मैं निष्कर्ष निकालूं, 'कर योजना' पर एस. ए. टी. के निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक है। एस. ए. टी. ने कहा कि यह मानते हुए भी कि गैर-वास्तविक समक्रमित व्यापार कर [2018] 1 एस. सी. आर. के उद्देश्यों के लिए किए गए हैं।

नियोजन, इस तरह के व्यापार को केवल तभी आपत्तिजनक माना जा सकता है जब वे किसी न किसी तरह से बाजार को प्रभावित कर रहे हों। एस. ए. टी. ने इस निष्कर्ष के लिए भरोसा व्यक्त किया कि प्रत्येक व्यक्ति कराधान से बचने के लिए अपने मामलों को व्यवस्थित करने का हकदार है। विरम इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (MANU/SB/0046/2005) ने 11.02.2005 पर निर्णय लिया। उत्तरदाताओं का तर्क है कि कर योजना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए लेनदेन अवैध नहीं हैं और उत्तरदाताओं ने विरम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर भरोसा किया है। लिमिटेड मामला। एस. ई. बी. आई. के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कर योजना के लिए या धन शोधन आदि जैसे कुछ गुप्त उद्देश्यों के लिए काल्पनिक लेनदेन द्वारा बाजार में हेरफेर नहीं किया जा सकता है।

45. कारण दर्शाओ नोटिस में यह आरोप लगाते हुए कोई आधार नहीं उठाया गया है कि विवादित काल्पनिक लेनदेन के साथ किया गया है

विरम इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. के मामले में एस. ए. टी. के निष्कर्ष। लिमिटेड छोड़ दिया गया है खोलें।

निष्कर्षः

46. प्रतिवर्ती लेन-देन, मात्रा, मूल्य और समय और बिक्री को ध्यान में रखते हुए, पक्ष इस तरह के व्यापार लेन-देन की संख्या में लगातार बने रहते हैं

भारी मूल्य भिन्नताओं के साथ, यह मानना बहुत भोलापन होगा कि लेनदेन स्क्रीन-आधारित व्यापार के माध्यम से हैं और इसलिए गुमनाम हैं। इस तरह का निष्कर्ष समाप्त हो जाएगा-बोर्ड के परिपत्र के अनुसार बातचीत किए गए सौदों के बजाय खरीद और बिक्री आदेश के समन्वय से जुड़ी दिमाग की पूर्व बैठक को देखना। विवादित लेन-देन वांछित नुकसान और/या लाभ पैदा करने के लिए हेरफेर/भ्रामक उपकरण हैं। इस तरह का समक्रमित व्यापार प्रतिभूतियों में व्यापार के पारदर्शी मानदंडों का उल्लंघन है। यदि एस. ए. टी. के निष्कर्षों को बनाए रखना है, तो इसके बाजार की अखंडता को कम करने वाले गंभीर परिणाम होंगे और एस. ए. टी. के विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। उपरोक्त अतिरिक्त तर्कों पर भी, मैं व्यापारियों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने वाले निष्कर्ष से सहमत हूं। मैं दलालों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर अपील को खारिज करने के निष्कर्ष से भी सहमत हूं।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।